सत्यमेव जयते

लेखे एक नज़र में
2020-21

महालेखा नियंत्रक
व्यय विभाग
वित्त मंत्रालय

लेखे एक नज़र में 2020–21

विषय–सूची

भूमिका	3
विहंगावलोकन	4
बजट की तुलना में वास्तविक राशियों का विश्लेषण	10
वित्तीय विवरण	14
प्राप्तियां	17
व्यय	21
ऋण और अन्य देयताएं	24
विनियोग लेखे	30
शब्दावली	34
परिशिष्ट	
1. दस वर्षीय सारांश	42
2. करेतर राजस्वों का विवरण	44
3. वाणिज्यिक प्राप्तियों का विवरण	45
4. मुख्य स्कीमों पर व्यय	46
5. मुख्य मदों में राजस्व–पूंजीगतवार व्यय	48
6. वेतन और भत्तों पर व्यय	50
7. सहायिकियों का विवरण	58
8. मंत्रालयों और विभागों का व्यय	61
9. ब्याज वाले बाजार कर्ज का परिपक्वता ब्योरा	78
10. ₹100 करोड़ और उससे अधिक की बचत/अधिक व्यय वाले अनुदान/विनियोग	79
11. विनियोग लेखे 2020–21 का सारांश	87
12. वस्तु शीर्षवार व्यय 2020–21	100

लेखे एक नज़र में
2020–21

भूमिका

'लेखे एक नज़र में' संघ सरकार की प्राप्तियों और व्ययों के अनुमान और वास्तविक राशियों, परिसम्पत्तियों और देयताओं, बचतों आरक्षित राशियों, निवेशों, ऋण और घाटे जैसी वित्तीय सूचना का वृहत विहंगावलोकन पाठक–सुलभ रूप में संक्षिप्त विश्लेषण और ग्राफों द्वारा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा यथा लेखापरीक्षित ब्योरेवार वित्तीय सूचना वित्त लेखे और विनियोग लेखे में उपलब्ध कराई जाती है।

महालेखा नियंत्रक संघ सरकार के लेखों के समेकन के लिए जिम्मेदार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(1) के तहत संघ सरकार के वार्षिक लेख जिनमें संघ के वित्त और विनियोग लेखे शामिल होते हैं, उन्हें संसद के समक्ष उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाता है।

संघ वित्त लेखों में भारत सरकार के सिविल और गैर–सिविल मंत्रालयों/विभागों के लेन–देने और शेष समेकित होते हैं। इनमें भारत की समेकित निधि एवं लोक लेखे और लोक ऋण एवं अन्य देयताओं तथा सरकारी लेखे में कुछ परिसम्पत्तियों से प्राप्तियों एवं निर्गमों के संघ सरकार के वार्षिक लेखे शामिल होते हैं।

विनियोग लेखे (सिविल) में मंत्रालयों/विभागों के लेनदेन (6 विनियोग और 91 अनुदान) शामिल होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 114 में, व्यय किए जाने से पूर्व विनियोगों को संसद द्वारा पारित किए जाने की व्यवस्था है। तदनुसार, विभिन्न मांगों के अंतर्गत संसद द्वारा यथा अनुमोदित विनियोगों का संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुपालन सूचित करने के लिए विनियोग लेखे तैयार किए जाते हैं। अनुदानों की मूल मांगों और अंतिम विनियोग तथा वास्तविक व्यय के बीच काफी अंतर (अधिक व्यय और बचत दोनों) होने पर स्पष्टीकरण दिया जाता है। रक्षा (रक्षा मंत्रालय के दो सिविल अनुदानों को छोड़कर), रेलवे, डाक के विनियोग लेखे संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार किए जाते हैं।

विहंगावलोकन

प्राप्ति, व्यय और घाटा

वर्ष 2020–21 के दौरान कुल प्राप्तियां ₹35,09,836 करोड़ थीं। सकल कर प्राप्ति ₹20,21,284 करोड़ थी, जिसमें ₹5,94,997 करोड़ (सकल का 29%) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कर के भाग के रूप में अंतरित कर दिए गए थे। केन्द्र सरकार द्वारा रखा गया निवल कर राजस्व ₹14,26,287 करोड़ था। कुल ऋणेतर प्राप्तियां ₹16,91,545 करोड़ थी, जिनमें राजकोषीय घाटे के रूप में ₹18,18,291 करोड़ का अंतर था, जिसे 2020–21 के दौरान ऋण के माध्यम से पूरा किया गया है।

भारत की समेकित निधि से कुल सरकारी व्यय ₹35,09,836 करोड़ था, जिसमें से, राजस्व व्यय ₹30,83,519 करोड़ (88%) और पूंजीगत व्यय ₹4,26,317 करोड़ (12%) था। वर्ष 2019–2020 में व्यय ₹26,86,870 करोड़ से 31% बढ़ गया था। यह वृद्धि मुख्यतः ऋण एवं अग्रिम और सहायिकियों के अधिक वितरण के कारण हुई।

वित्तीय विशेषताएं 2020–21
(₹ करोड़)

	विवरण	संशोधित अनुमान* 2020–21	वास्तविक 2020–21	वास्तविक 2019–20	वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि
1	**राजस्व प्राप्तियां**	**15,55,153**	**16,33,919**	**16,84,059**	**-3%**
2	कर राजस्व (केन्द्र को निवल)	13,44,501	14,26,287	13,56,902	5%
3	करेतर राजस्व	2,10,652	2,07,632	3,27157	-37%
4	**पूंजीगत प्राप्तियां**	**46,497**	**57,626**	**68,620**	**-16%**
5	कर्जों की वसूलियां	14,497	19,729	18,316	8%
6	अन्य प्राप्तियां	32,000	37,897	50,304	-25%
7	**कुल प्राप्तियां (1+4)**	**16,01,650**	**16,91,545**	**17,52,679**	**-3%**
8	**राजस्व व्यय**	**30,11,142**	**30,83,519**	**23,50,605**	**31%**
9	जिनमें से ब्याज अदागियां	6,92,900	6,79,869	6,12,070	11%
10	जिनमें से, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	2,30,376	2,22,391	1,87,342	19%
11	**पूंजीगत व्यय**	**4,39,163**	**4,26,317**	**3,36,265**	**27%**
12	**कुल व्यय (8+11)**	**34,50,305**	**35,09,836**	**26,86,870**	**31%**
13	राजस्व घाटा (8–1)	14,55,989	14,49,600	6,66,546	117%
14	प्रभावी राजस्व घाटा (13–10)	12,25,613	12,27,209	4,79,204	156%
15	**राजकोषीय घाटा [12–7]**	**18,48,655**	**18,18,291**	**9,34,191**	**95%**
16	प्राथमिक घाटा (15–9)	11,55,755	11,38,422	3,22,121	253%

*1. बजट दस्तावेज के अनुसार संशोधित अनुमान।

2. तुलना के लिए 2020–21 वास्तविक बजट दस्तावेज के अनुसार निवल किए गए हैं।

पिछले दशक के दौरान, सरकार की सकल प्राप्तियां ₹8,84,900 करोड़ [2011–12], से बढ़कर ₹20,27,104 करोड़ (2020–21) हो गई हैं। सकल घरेलू उत्पाद के रूप में वर्ष (2020–21) के दौरान सकल कर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद* का 10.27% था। पिछले दशक में, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, सकल कर राजस्व का औसत सकल घरेलू उत्पाद का 10.44% और करेतर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 1.47% रहा। करेतर राजस्व वर्ष [2011–12] में सकल घरेलू उत्पाद के 1.37% से कम होकर वर्ष [2020–21] में 1.05 हो गया।

भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियां

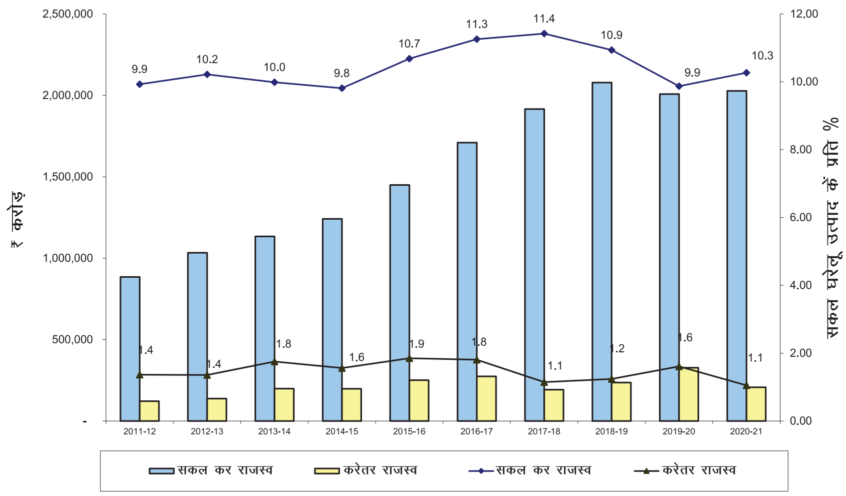

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में वृद्धि हुई है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, यह पिछले वर्ष के 11.56% की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का 15.62% था। वर्ष 2020–21 में पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.16% था। 2011–2021 के दशक के दौरान, राजस्व व्यय का औसत सकल घरेलू उत्पाद का 12.03% और पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 1.74% था। साथ ही, 2020–21 में, अंतिम अनुदान में प्रदान किया गया सकल पूंजीगत व्यय (स्वीकृत+प्रभारित) ₹74,96,095 करोड़ था। वास्तविक सकल व्यय ₹66,34,552 करोड़ था, जिससे ₹8,61,543 करोड़ की बचत हुई।

भारत सरकार का व्यय

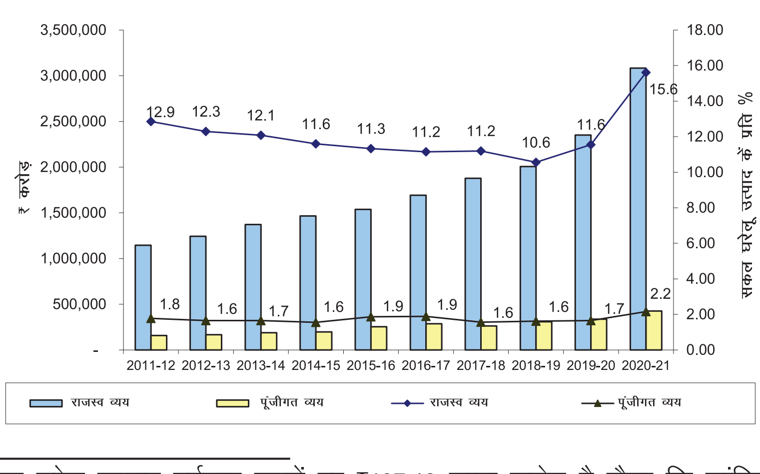

*वर्ष 2020–21 का सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्यों पर ₹197.46 लाख करोड़ है जैसा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अपने 31 मई 2021 के प्रेस नोट द्वारा जारी किए गए अनंतिम अनुमानों में दर्शाया गया है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, केन्द्र सरकार की निवल प्राप्तियाँ कुल व्यय के केवल 48% को पूरा करने के लिए ही पर्याप्त थीं, जिससे ₹18,18,291 करोड़ का घाटा हुआ। वर्ष का राजस्व घाटा ₹14,49,600 करोड़ था। सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.21% और राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 7.34% था।

भारत सरकार का घाटा

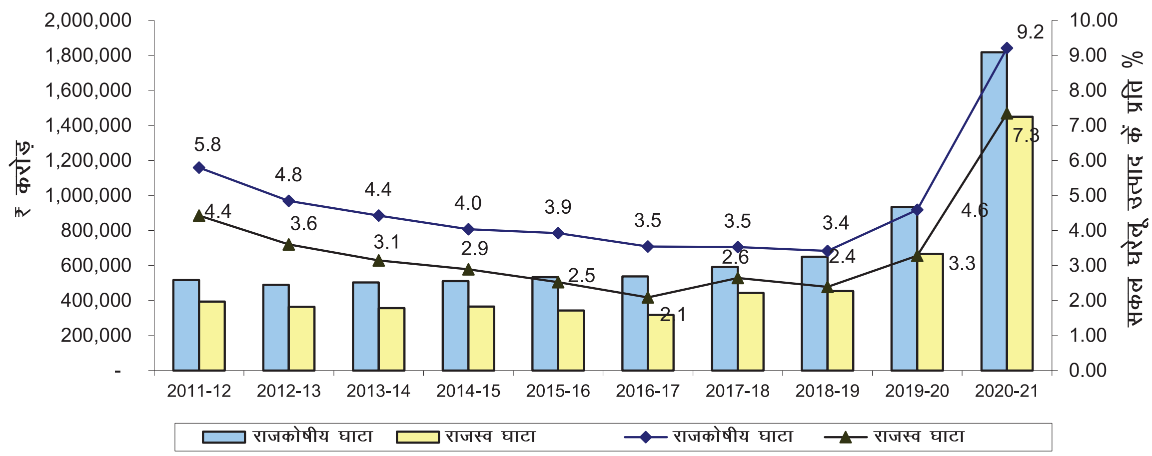

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)

वर्षवार सकल घरेलू उत्पाद मूल्यों में पिछले वर्ष को तुलना में कुछ कमी दर्शाई गई है परन्तु यह वर्ष 2011–2012 में ₹89.12 लाख करोड़ से वर्ष 2020–2021 में दो गुना बढ़कर ₹197.46 लाख करोड़ हो गया।

वर्ष	*सकल घरेलू उत्पाद (₹ लाख करोड़ में)
2011-2012	89.12
2012-2013	101.13
2013-2014	113.55
2014-2015	126.54
2015-2016	135.76
2016-2017	151.84
2017-2018	167.73
2018-2019	190.10
2019-2020	203.40
2020-2021	197.46

* सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्तमान मूल्यों पर जारी अनंतिम अनुमान।

घाटे के वित्तपोषण के स्रोत

वर्ष 2020–21 के दौरान, ₹18,18,291 करोड़ के घाटे को मुख्य रूप से (i) ₹17,51,072 करोड़ के आंतरिक ऋण (ii) ₹70,181 करोड़ के बाहरी ऋण से वित्तपोषित किया गया। उधार द्वारा जुटाए गए संसाधन के घाटे से अधिक होने के कारण नकदी शेष में ₹7,188 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2020–21 के अंत में नकदी शेष राशि ₹4,946 करोड़ थी।

घाटे का वित्तपोषण
(₹ करोड़)

विवरण	2020–21		2019–20	
आंतरिक ऋण	17,51,072	96%	8,69,222	93%
बाजार ऋण	10,18,810	56%	4,85,986	52%
कोषागार बिल	2,83,205	15%	70,103	7%
मुआवजा और अन्य बांड	19,680	1%	6,358	1%
अन्य	4,29,377	24%	3,06,775	33%
परिक्रामी निधि सहित बाह्य ऋण	70,181	4%	8,682	1%
रोकड़ आहरण द्वारा कमी	-7,188	0%	4,970	1%
लोक लेखा	4,226	0%	51,317	5%
कुल वित्तपोषण	**18,18,291**	**100%**	**9,34,191**	**100%**

ऋण और अन्य देयताएं

वर्ष के दौरान, सरकार ने ₹81,62,910 करोड़ के नए ऋण का अनुबंध किया और ₹61,84,635 करोड़ के पिछले ऋण का निपटान किया। इसका निवल परिणाम यह हुआ कि लोक ऋण में ₹19,78,275 करोड़ की वृद्धि हो गई। 31.03.2021 को बकाया ऋण का कुल स्टॉक ₹1,02,98,015 करोड़ था। वर्ष 2020–21 के अंत में ब्याज वाले कुल दायित्व ₹1,12,28,975 करोड़ थे, और कुल देनदारियाँ ₹1,13,47,443 करोड़ थी।

ऋण और अन्य देयताओं में परिवर्तन
(₹ करोड़)

विवरण	1 अप्रैल, 2020	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च, 2021	वृद्धि/कमी
ऋण*	83,19,740	81,62,910	61,84,635	1,02,98,015	19,78,275
लघु बचतें, भविष्य निधि आदि**	5,74,881	16,60,979	15,20,380	7,15,480	1,40,599
ब्याज वाली अन्य देयताएं	1,60,862	1,11,562	56,944	2,15,480	54,618
बिना ब्याज वाली अन्य देयताएं	1,43,581	7,57,649	7,82,762	1,18,468	(-) 25,113
कुल ऋण और अन्य देयताएं	**91,99,064**	**1,06,93,100**	**85,44,721**	**1,13,47,443**	**21,48,379**

प्राप्तियों और व्ययों, लोक ऋण और अन्य देयताओं का दस वर्ष का सारांश परिशिष्ट–1 कर दिया गया है।

* बाह्य ऋण (₹3,88,472 करोड़) ऐतिहासिक मूल्य पर लिया गया है। यदि यह वर्तमान मूल्य (₹6,14,828 करोड़) पर लिया जाता तो 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार लोक ऋण की राशि ₹1,05,24,371 करोड़ होती।

** 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, लघु बचतों, भविष्य निधि आदि से संबंधित केन्द्र सरकार की कुल देयता ₹14,27,325 करोड़ है। इसमें से, ₹78,524 करोड़ संचित घाटा है, ₹4,15,506 करोड़ का निवेश राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में, ₹1,25,636 करोड़ का निवेश विभिन्न सरकारी उपक्रमों में और पोलिफ निवेश से संबंधित ₹92,178 करोड़ का निवेश निजी प्रबंधकों के पास किया गया और इस प्रकार इस लेखे में ₹7,15,480 करोड़ की देयता बकाया है।

पिछले 10 वर्षों में, लोक ऋण [वर्तमान मूल्य पर] जोकि वर्ष 2011–12 में ₹35,53,519 करोड़ था, वह वर्ष 2020–21 में लगभग तीन गुना बढ़कर ₹1,05,24,371 करोड़ हो गया। सकल घरेलू उत्पाद क रूप में, लोक ऋण [वर्तमान मूल्य पर] जोकि वर्ष 2011–12 में सकल घरेलू उत्पाद का 39.87% था, वह 2020–21 के अंत में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 53.30% हो गया। वर्ष 2020–21 के अंत में, आंतरिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 50.19% था और बाह्य ऋण [वर्तमान मूल्य पर] सकल घरेलू उत्पाद का 3.11% था।

भारत सरकार का ऋण

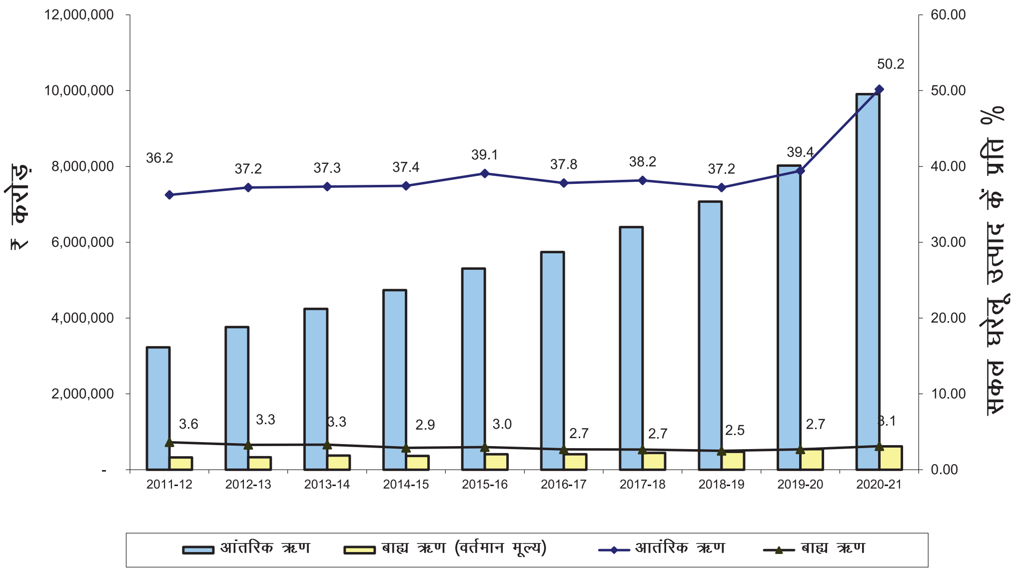

निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

वर्ष 2020–21 के दौरान, सरकार ने ₹16,91,545 करोड़ (राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण का निवल) का राजस्व प्राप्त किया और ₹80,05,888 करोड़ का ऋण उठाया। इस प्रकार, भारत की समेकित निधि में प्राप्त कुल निधियां, ₹96,97,433 करोड़ थीं। इसमें से, ₹61,84,635 करोड़ पिछले ऋण की पुनर्अदायगी करने के लिए उपयोग में लाए गए और ₹35,09,836 करोड़ सरकार के चालू कार्यकलापों पर व्यय किए गए। भारत की समेकित निधि से कुल ₹96,94,471 करोड़ का व्यय हुआ। भारत की समेकित निधि में व्यय की तुलना अधिक प्राप्तियों के साथ–साथ लोक लेखों में निवल प्राप्तियों के कारण नकद शेष में ₹7,188 करोड़ की वृद्धि हुई।

निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग
(₹ करोड़)

स्रोत			अनुप्रयोग		
	2020–21	2019–20		2020–21	2019–20
राजस्व	**16,91,545**	**17,52,679**	**व्यय**	**35,09,836**	**26,86,870**
कर	14,26,287	13,56,902	राजस्व	30,83,519	23,50,605
करेतर	2,07,632	3,27,157	*जिसमें से ब्याज अदायगी*	6,79,869	6,12,070
ऋणेतर पूंजी	57,626	68,620	पूंजीगत	4,26,317	3,36,265
अन्य स्रोत	**80,02,926**	**72,60,740**	**अन्य अनुप्रयोग**	**61,84,635**	**63,26,549**
नया ऋण	80,05,888	72,04,453	ऋण की पुनर्अदायगी	61,84,635	63,26,549
आंतरिक	*79,00,992*	*71,61,880*	*आंतरिक*	*61,49,920*	*62,92,658*
बाह्य	*1,04,896*	*42,573*	*बाह्य*	*34,715*	*33,891*
रोकड़ आहरण द्वारा कमी	–7,188	4,970			
लोक लेखा	4,226	51,317			
कुल	**96,94,471**	**90,13,419**	**कुल**	**96,94,471**	**90,13,419**

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में, वर्ष 2020–21 के दौरान कर प्राप्तियों में 5% की वृद्धि हुई और करेतर प्राप्तियों में 37% की कमी हुई, जिसके परिणामस्वरूप सरकार की कुल प्राप्तियों में 3% की कमी आई। वर्ष 2020–21 के दौरान कुल सरकारी व्यय में 31% की वृद्धि हुई, राजस्व व्यय में भी 31% की वृद्धि हुई और पूंजीगत व्यय में 27% की वृद्धि हुई।

बजट की तुलना में वास्तविक राशियों का विश्लेषण

प्राप्तियां

वर्ष 2020–21 के दौरान केंद्र सरकार का निवल कर राजस्व ₹14,26,287 करोड़ था जो संशोधित अनुमान का 106.08% था और गैर–कर राजस्व (₹2,07,632 करोड़) संशोधित अनुमान का 98.57% था। कुल राजस्व प्राप्तियां (₹16,33,919 करोड़) संशोधित अनुमानों का 105.06% थी।

ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियों (₹57,626 करोड़) में विनिवेश प्राप्तियों आर कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियां शामिल होती हैं, ये संशोधित अनुमानों का 123.93% थी। इस प्रकार, सरकार की कुल ऋणेतर प्राप्तियां ₹16,91,545 करोड़ थीं जो कि वर्ष के दौरान सरकार के कुल व्यय (₹35,09,836 करोड़) से राजकोषीय घाटे के रूप में ₹18,18,291 करोड़ कम थीं। 'ऋण वित्तीयन' से पूरे किए गए घाटे का संघटक संशोधित अनुमान का 98.36% था। वर्ष के दौरान सराकर की कुल ऋण प्राप्तियां ₹18,25,479 करोड़ थीं, जो संशोधित अनुमानों का 97.83% थीं। नकद आहरण द्वारा ₹17,358 करोड़ के अनुमान की तुलना में सरकार की आरक्षित नकदी ₹7,180 करोड़ बढ़ गई।

प्राप्तियां वर्ष 2020–21
(₹ करोड़)

		संशोधित अनुमान (2020–21)	वास्तविक (2020–21)	संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक राशि % में	वास्तविक राशि (2019–20)
	राजस्व प्राप्तियां				
1	**कर राजस्व**	**19,00,280**	**20,27,104**	**106.67**	**20,10,059**
	सकल कर राजस्व	4,31,000	4,56,334	105.88	4,94,071
	केंद्रीय वस्तु और सेवा कर	0	7,252		9,125
	एकीकृत वस्तु और सेवा कर	84,100	85,192	101.30	95,553
	जीएसटी मुआवजा उपकर	4,46,000	4,57,719	102.63	5,56,876
	निगम कर	4,59,000	4,87,143	106.13	4,92,401
	आय पर कर	0	11		18
	धन कर	1,12,000	1,34,750	120.31	1,09,283
	सीमा शुल्क	3,61,000	3,89,667	107.94	2,41,242
	संघ उत्पाद शुल्क	1,400	1,615	115.36	6,029
	सेवा कर	5,780	4,776	82.63	5,461
	संघ राज्य क्षेत्रों के कर				
	घटाएं – राष्ट्रीय विपत्ति आकस्मिकता निधि / राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि को अंतरित एनसीसीडी	**5,820**	**5,820**	**100.00**	**2,480**
	घटाएं– राज्यों का भाग	**5,49,959**	**5,94,997**	**108.19**	**6,50,677**
	1(क) केन्द्र का निवल कर राजस्व	**13,44,501**	**14,26,287**	**106.08**	**13,56,902**

		संशोधित अनुमान (2020–21)	वास्तविक (2020–21)	संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक राशि % में	वास्तविक राशि (2019–20)
2	**करेतर राजस्व**				
	ब्याज प्राप्तियां	14,004	17,113	122.20	12,349
	लाभांश और लाभ	96,543	96,878	100.35	1,86,133
	बाह्य अनुदान	1,422	1,752	123.21	373
	अन्य करेतर राजस्व	96,602	90,291	93.47	1,26,540
	संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां	2,081	1,598	76.79	1,762
	कुल करेतर राजस्व	**2,10,652**	**2,07,632**	**98.57**	**3,27,157**
	कुल राजस्व प्राप्तियां ।(1क+2)	**15,55,153**	**16,33,919**	**105.06**	**16,84,059**
3	**पूंजीगत प्राप्तियां**				
क	**ऋणेतर प्राप्तियां**				
	कर्जों और अग्रिमों की वसूलियां @	14,497	19,729	136.09	18,316
	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	32,000	37,897	118.43	50,304
	कुल	**46,497**	**57,626**	**123.93**	**68,620**
ख	**ऋण प्राप्तियां***				
	उधार	12,73,788	12,39,738	97.33	5,56,089
	लघु बचतों पर जारी प्रतिभूतियां	4,80,574	4,83,733	100.66	2,40,000
	राज्य भविष्य निधि (निवल)	18,000	18,514	102.85	11,635
	अन्य प्राप्तियां (आंतरिक ऋण और लोक लेखे)	39,129	13,313	34.02	1,12,813
	बाह्य ऋण	54,522	70,181	128.72	8,682
	कुल	**18,66,013**	**18,25,479**	**97.83**	**9,29,221**
	कुल पूंजीगत प्राप्तियां (क+ख)	**19,12,510**	**18,83,105**	**98.46**	**9,97,841**
4	**नकद शेष की आहरण द्वारा कमी**	**–17,358**	**–7,188**	**41.41**	**4,970**
	कुल प्राप्तियां (1क+2+3+4)	**34,50,305**	**35,09,836**	**101.73**	**26,86,870**
	राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण (3ख+4)	**18,48,655**	**18,18,291**	**98.36**	**9,34,191**
	एमएसएस के अंतर्गत प्राप्तियां (निवल)	**0**	**0**	**0**	**0**

व्यय

वर्ष 2020–21 के दौरान सरकार का कुल व्यय ₹35,09,836 करोड़ था, जो संशोधित अनुमानों का 101.73% था। राजस्व व्यय संशोधित अनुमानों का 102.04% था, जबकि पूंजीगत व्यय संशोधित अनुमानों का 97.07% था। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदानों पर व्यय संशोधित अनुमानों का 103.19% था और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण पर व्यय संशोधित अनुमानों का 103.61% था।

* ये प्राप्तियां पुनर्अदायगियों का निवल हैं।

@ इसमें राज्यों से अल्पावधि कर्ज और अग्रिम, सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि से ₹194 करोड़ की वसूलियां शामिल नहीं हैं।

सहायिकियों, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान तथा पेंशन पर व्यय संशोधित अनुमानों से अधिक हो गया, जबकि राजस्व खंड में अन्य सभी व्यय संशोधित अनुमानों से कम रहे। पूंजीगत खंड में, ऋण एवं अग्रिम पर व्यय भी संशोधित अनुमानों से अधिक रहा, जबकि शेष संघटकों में संशोधित अनुमानों से कमी आई।

व्यय 2020–21 (₹ करोड़)					
		संशोधित अनुमान (2020–21)	वास्तविक (2020–21)	संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक राशि % में	वास्तविक राशि (2019–20)
क	**राजस्व व्यय**				
1	ब्याज अदायगियां और प्रीपेमेंट प्रीमियम	6,92,900	6,79,869	98.12	6,12,070
2	रक्षा सेवा	2,09,312	2,05,789	98.32	2,07,572
3	सहायिकियां	6,48,736	7,54,936	116.37	2,62,304
4	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान	5,59,025	5,76,881	103.19	5,22,912
5	पेंशन	2,04,393	2,08,473	102.00	1,83,955
6	पुलिस	88,002	86,793	98.63	89,867
7	राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से राज्यों को सहायता	5,820	5,820	100.00	2,480
8	अन्य सामान्य सेवाएं (राज्य के अंग, कर संग्रहण, विदेश मामले आदि)	46,935	47,237	100.64	48,283
9	सामाजिक सेवाएं (शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसारण आदि)	1,63,489	1,53,723	94.03	1,26,262
10	आर्थिक सेवाएं (कृषि, उद्योग, विद्युत, परिवहन, संचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि)	3,58,697	3,32,293	92.64	2,63,687
11	डाक घाटा	19,056	17,695	92.86	14,813
12	बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय	12,752	12,085	94.77	11,062
13	राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से पूरी की गई राशि	–5,820	–5,820	100.00	–2,480
14	विदेशी सरकारों को अनुदान	7,847	7,745	98.71	7,820
	कुल राजस्व व्यय	**30,11,142**	**30,83,519**	**102.04**	**23,50,605**

व्यय 2020–21 (₹ करोड़)					
		संशोधित अनुमान (2020–21)	वास्तविक (2020–21)	संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक राशि % में	वास्तविक राशि (2019–20)
ख	**पूंजीगत व्यय**				
1	सामान्य सेवाएं	1,44,091	1,42,746	99.07	1,24,807
	जिनमें से रक्षा सेवाएं	1,34,510	1,34,305	99.85	1,11,092
2	समाजिक सेवाएं	7,797.87	7,110	91.18	9,492
3	आर्थिक सेवाएं	1,75,404	1,64,024	93.51	1,76,109
4	ऋण और अग्रिम	1,06,916	1,10,491	103.34	24,414
	जिसमें से राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को कर्ज	14,970.9	19,554	130.61	4,299
	जिसमें से विदेश सरकारों को कर्ज	250	539	215.66	803
	जिसमें से पीएसयू को कर्ज सहित अन्य कर्ज	91,695	90,398	98.58	19,312
5	बिना विधान मंडल वाली संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का व्यय	4,953.82	1,947	39.31	1,443
कुल पूंजीगत व्यय		**4,39,163**	**4,26,317**	**97.07**	**3,36,265**
कुल व्यय (क+ख)		**34,50,305**	**35,09,836**	**101.73**	**26,86,870**

वित्तीय विवरण

वित्तीय स्थिति का विवरण
(₹ करोड़)

		31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
	देयताएं	**1,13,47,943**	**91,99,564**
क.	लोक ऋण	1,02,98,015	83,19,740
	1. आंतरिक ऋण	99,09,543	80,20,490
	2. बाह्य ऋण	38,84,72	2,99,250
ख.	आकस्मिकता निधि	500	500
ग.	लोक लेखे पर देयताएं		
	(निवेशों/अग्रिमों का निवल)	10,49,428	8,79,324
	1. आरक्षित निधियां	41,047	36,502
	2. जमा और अग्रिम	2,92,901	2,67,942
	3. अल्प बचतें, भविष्य निधियों आदि	7,15,480	5,74,880
	परिसम्पत्तियां	**1,13,47,943**	**91,99,564**
क.	रोकड़ और रोकड़ समकक्ष	2,37,519	48,332
	1. रोकड़ शेष	4,947	-2,241
	2. अल्पावधि रोकड़ निवेश	2,32,572	50,573
ख.	अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	15,19,974	12,19,394
	1. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी निवेश	9,61,580	8,80,923
	2. कर्ज तथा अग्रिम	5,58,394	3,38,471
	क. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	3,13,511	1,80,814
	ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	2,44,883	1,57,657
ग.	उचंत और विविध	-1,47,464	-1,49,194
घ.	संचित घाटा	97,37,914	80,81,032

स्रोतः संघ सरकार वित्त लेखे (2020–21)–सकल आंकड़े

* पिछले वर्षों के संचित घाटे और अधिशेष को दर्शाता है।

प्रचालन विवरण
(₹ करोड़)

	2020-2021	2019-2020
प्राप्तियां		
राजस्व लेखा	**18,64,513**	**19,48,083**
कर राजस्व	14,32,107	13,59,382
करेतर राजस्व	4,30,655	5,88,328
सहायता अनुदान	1,751	373
अन्य प्राप्तियां	**37,897**	**50,350**
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश	1,725	9,010
अन्य	36,172	41,340
कुल प्राप्तियां	**19,02,410**	**19,98,433**
व्यय		
राजस्व लेखा	**33,14,852**	**26,15,319**
सामान्य सेवाएं	12,96,967	12,12,505
सामाजिक सेवाएं	1,71,271	1,35,769
आर्थिक सेवाएं	12,61,988	7,36,314
सहायता अनुदान	5,84,626	5,30,731
पूंजीगत लेखा	**2,37,986**	**3,87,744**
सामान्य सेवाएं	1,42,949	1,24,994
सामाजिक सेवाएं	7,611	9,899
आर्थिक सेवाएं	87,426	2,52,851
विविध	**6,081**	**3,108**
कुल व्यय	**35,58,919**	**30,06,171**
पूर्व अवधि समायोजन	**373**	**-1,182**
घाटा*	**16,56,882**	**10,06,556**

स्रोतः संघ सरकार वित्त लेखे (2020–21)– सकल आंकड़े

* घाटे को वित्तीय स्थिति के विवरण में अग्रेनीत करके संचित घाटे के रूप में दर्शाया गया है।

प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण
(₹ करोड़)

	2020-2021	2019-20
प्राप्तियां	**1,29,44,122**	**1,14,54,582**
भारत की समेकित निधि	**1,00,95,243**	**93,18,467**
कर राजस्व	14,32,107	13,59,382
करेतर राजस्व	4,30,655	5,88,328
सहायता अनुदान और अंशदान	1,751	373
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	37,897	50,350
लोक ऋण	81,62,910	73,01,387
कर्ज तथा अग्रिम	29,923	18,647
भारत की आकस्मिकता निधि	**0**	**0**
लोक लेखा	**28,48,879**	**21,36,115**
अल्प बचतें, भविष्य निधि	16,60,979	12,12,818
आरक्षित निधियां	5,52,258	4,28,913
जमा तथा अग्रिम	5,52,367	3,52,121
उचंत और विविध	58,594	1,08,372
प्रेषण	24,681	33,891
संवितरण	**1,29,36,934**	**1,14,59,552**
भारत की समेकित निधि	**1,00,92,281**	**93,74,754**
सामान्य सेवाएं	12,96,967	12,12,505
सामाजिक सेवाएं	1,71,271	1,35,769
आर्थिक सेवाएं	12,61,988	7,36,314
सहायता अनुदान और अंशदान	5,84,626	5,30,731
पूंजीगत परिव्यय	3,42,949	3,87,744
ऋण की पुनर्अदायगी	61,84,635	63,26,549
कर्ज तथा अग्रिम	2,49,845	45,142
भारत की आकस्मिकता निधि को अंतरण	**0**	**0**
लोक लेखा	**28,44,653**	**20,84,798**
अल्प बचतें, भविष्य निधि	15,20,380	12,17,547
आरक्षित निधियां	5,47,714	4,18,502
जमा तथा अग्रिम	5,26,685	3,66,348
उचंत और विविध	2,47,596	79,378
प्रेषण	2,278	3,023
संवितरणों पर प्राप्तियां	**7,188**	**-4,970**
प्रारंभिक रोकड़ शेष*	-2,241	2,729
अंत रोकड़ शेष	**4,947**	**-2,241**

स्रोतः संघ सरकार वित्त लेखे (2020–21) – सकल आंकड़े

प्राप्तियां

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों और ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व और करेतर राजस्व शामिल होता है। वर्ष 2020–21 के दौरान, कुल सरकारी ऋणेतर प्राप्तियों में कर राजस्व का भाग लगभग 84% है। शेष राजस्व करेतर राजस्व (12%) और ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियां (4%) से आया। निगम कर, आय कर, वस्तु एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सरकार के सबसे बड़े राजस्व स्रोत हैं, जोकि कुल सरकारी ऋणेतर प्राप्तियों को लगभग 72% हैं। निगम कर (16%), वस्तु एवं सेवा कर (17%), आय कर (17%), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (22%), सीमा शुल्क (6%), वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर (5%), लाभांश (6%) और ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियां (4%) ऋणेतर सरकारी प्राप्तियों का मुख्य भाग हैं।

भारत की समेकित निधि प्राप्तियां (2020–21)

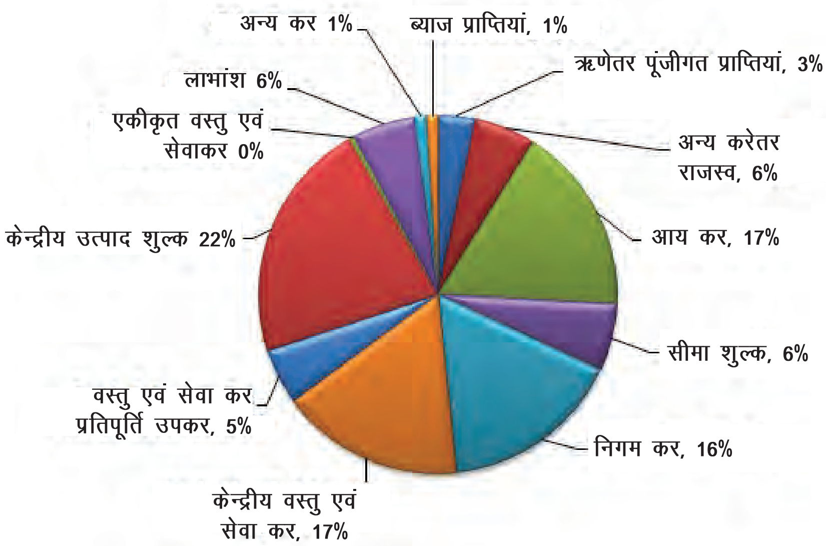

वर्ष 2020–21 के लिए भारत सरकार की कुल प्राप्तियां [राज्यों को करों का निवल अंतरण] ₹16,91,545 करोड़ थी। कर राजस्व में 5% की वृद्धि होकर यह ₹13,56,902 करोड़ से ₹14,26,287 हो गया, जबकि करेतर राजस्व में 37% कमी होकर यह ₹3,27,157 करोड़ से ₹2,07,632 करोड़ हो गया। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियों में 16% की कमी आई। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार की कुल प्राप्तियों में समग्र रूप से 3% की कमी आई। वर्ष 2020–21 के दौरान, सरकार की ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियों में मुख्य रूप से सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश में प्रीमियम की वजह से ₹27,996 करोड़ की राशि शामिल है।

ऋणेतर प्राप्तियां (₹ करोड़)

विवरण	2020-21	2019-20	वृद्धि
कर राजस्व	14,26,287	13,56,902	5%
करेतर राजस्व	2,07,632	3,27,157	-37%
ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियां	57,626	68,620	-16%
कुल ऋणेतर प्राप्तियां	**16,91,545**	**17,52,679**	**-3%**

कर राजस्व

कर राजस्व संग्रहण (केन्द्र को निवल) वर्ष 2019–20 में ₹13,56,902 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020–21 में ₹14,26,287 करोड़ हो गया। केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर में 8% की कमी और आयकर में 2% की कमी आई जबकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में 63% की वृद्धि और सीमा शुल्क में 23% की वृद्धि हुई।

कर राजस्व
(₹ करोड़)

		2020-21			2019-20			सकल कर में वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि
	विवरण	सकल	राज्यों को हस्तांतरित	निवल	सकल	राज्यों को हस्तांतरित	निवल	
1.	वस्तु एवं सेवा कर							
क	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	4,56,334	1,76,451	2,79,883	4,94,071	1,84,641	3,09,430	-8%
ख	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	7,252	-	7,252	9,125	-	9,125	-21%
ग	वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूरक उपकर	85,192	-	85,192	95,553	-	95,553	-11%
2	निगम कर	4,57,719	1,79,716	2,78,003	5,56,875	2,21,851	3,35,024	-18%
3	आय कर	4,70,391	1,84,271	2,86,120	4,80,097	1,73,679	3,06,419	-2%
4	ब्याज कर	2	-	2	2	-	2	13%
5	अनुषंगी हितलाभ कर	-182	-	-182	-135	-	-135	34%
6	व्यय कर	5	-	5	63	-	63	-93%
7	धन कर	11	-	11	18	10	8	-42%
8	प्रतिभूति लेनदेन	16,927	-	16,927	12,374	-	12,374	37%
9	सीमा शुल्क	1,34,750	31,529	1,03,221	1,09,282	41,327	67,955	23%
10	संघ उत्पाद शुल्क	3,89,667	19,973	3,69,694	2,39,453	28,761	2,10,692	63%
11	सेवा कर	1,615	2,620	-1,005	6,029		6,029	-73%
12	अन्य कर तथा माल एवं सेवा पर शुल्क	2,081	437	1,644	1,162	408	754	79%
12	अन्य कर	564	-	564	628	-	628	-10%
13	संघ राज्य क्षेत्रों को कर	4,776	-	4,776	5,461	-	5,461	-13%
14	एनसीसीएफ को अंतरित अधिभार	-5,820	-	-5,820	-2,480	-	-2,480	-135%
	जमा	**20,21,284**	**5,94,997**	**14,26,287**	**20,07,579**	**6,50,677**	**3,56,902**	**1%**

करेतर राजस्व

सरकार का करेतर राजस्व मुख्यतः ब्याज प्राप्तियों, सार्वजनिक उद्यमों से लाभांश एवं लाभ और विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने संबंधी शुल्क/प्रभार के रूप में उपार्जित होता है। करेतर राजस्व संग्रहण जो कि वर्ष 2019–20 में ₹3,27,157 करोड़ था वह 2020–21 के दौरान घटकर ₹2,07,632 करोड़ हो गया और इस प्रकार इसमें ₹1,19,525 करोड़ की कमी हुई।

करेतर राजस्व (₹ करोड़)				
क्र.सं.	विवरण	2020–21	2019–20	वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि (%)
1.	ब्याज प्राप्तियां	17,113	12,349	39%
2.	लाभांश और लाभ	96,878	1,86,133	–48%
3.	संघ राज्य क्षेत्रों का गैर–कर राजस्व	1,598	1,762	–9%
4.	अन्य करेतर राजस्व	92,043	1,26,913	–27%
	कुल करेतर राजस्व	**2,07,632**	**3,27,157**	**37%**

ब्याज प्राप्तियां (सकल)

ब्याज प्राप्तियां सरकार के करेतर राजस्वों का एक मुख्य स्रोत है। ब्याज राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों सहित विभिन्न निकायों को दिए गए कर्जों पर प्रोद्भूत होता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से ब्याज कुल ब्याज प्राप्तियों का 11% है। सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रम (3%) अन्य महत्वपूर्ण अंशदाता हैं।

वर्ष 2020–21 के दौरान कुल ब्याज प्राप्तियां (सकल) ₹59,540 करोड़ थी। पिछले वर्ष की तुलना में, ब्याज प्राप्तियों में ₹2,576 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2020–21 के दौरान सभी सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों और अन्य में बयाज प्राप्तियों में वृद्धि हुई।

ब्याज प्राप्तियां (सकल) (₹ करोड़)					
क्र.सं.	स्रोत	2020–21	2019–20	2018–19	2017–18
1.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	6,317	7,696	7,403	7,358
2.	विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम	1,374	1,410	1,397	1,606
3.	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रम	1695	889	2,439	17,374
4.	अन्य	50,154	46,969	15,927	19,394
	कुल	**59,540**	**56,964**	**27,166**	**45,732**

लाभांश

सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर लाभांश घटकर ₹89,253 करोड़ हो गया, जो कि वर्ष 2019–20 के दौरान ₹1,86,142 करोड़ था, वर्ष 2020–21 में ₹96,889 करोड़ हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक से लाभांश में अत्यधिक कमी आई यह 61% से भी कम हो गया, जबकि अन्य क्षेत्रों से लाभांश में थोड़ी वृद्धि हुई है।

लाभांश – मुख्य स्रोत (₹ करोड़)					
क्र.सं.	मुख्य स्रोत	2020–21	2019–20	2018–19	2017–18
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रम	39,497	35,509	43,049	46,495
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	–	2,611	2,261	2,376
3.	राष्ट्रीयकृत बैंक	–	–	108	1,826
4.	भारतीय रिजर्व बैंक	57,128	1,47,988	68,000	40,659
5.	अन्य	264	34	9	11

विविध पूंजीगत प्राप्तियां

विविध पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की परिसंपत्तियों की विक्रय आय होती है, जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की शेयर पूंजी का विनिवेश भी शामिल है। वर्ष 2020–21 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से ₹1,724 करोड़ और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश पर प्रीमियम के कारण ₹27,996 करोड़ की राशि प्राप्त हुई।

पूंजीगत प्राप्तियां (₹ करोड़)					
क्र.सं.	स्रोत	2020–21	2019–20	2018–19	2017–18
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों का विनिवेश	1,725	9,010	4,449	2,802
2.	सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों के विनिवेश पर प्राप्त प्रीमियम	27,996	39,224	68,171	86,168
3.	अन्य पूंजीगत प्राप्तियां	8,176	2,070	22,107	11,075
	कुल	**37,897**	**50,304**	**94,727**	**1,00,045**

संघ सरकार के करेतर राजस्व को दर्शाने वाला विवरण और वाणिज्यिक प्राप्तियों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट–2 और परिशिष्ट–3 पर है।

व्यय

वर्ष 2020–21 के दौरान सरकार का कुल व्यय ₹35,09,836 करोड़ था। व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹8,22,966 करोड़ [31%] की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय ₹30,83,519 करोड़ था जिसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा ₹7,32,914 करोड़ [31%] की वृद्धि हुई और पूंजीगत व्यय ₹4,26,317 करोड़ था जिसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा ₹90,052 करोड़ [27%] की वृद्धि हुई। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय का भाग 12% था। राजस्व व्यय में वृद्धि सहायिकियों के अधिक वितरण के कारण हुई जबकि पूंजीगत व्यय में वृद्धि ऋण एवं अग्रिम के अधिक वितरण के कारण हुई।

व्यय (₹ करोड़)

विवरण	2020–21	2019–20	वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि
राजस्व	**30,83,519**	**23,50,605**	**31%**
सामान्य सेवाएं	12,30,357	11,43,666	8%
सामाजिक सेवा	1,65,451	1,33,289	24%
आर्थिक सेवाएं	11,03,084	5,42,919	103%
सहायता अनुदान और अंशदान	5,84,627	5,30,731	10%
पूंजीगत	**4,26,317**	**3,36,265**	**27%**
सामान्य सेवाएं	1,42,949	1,24,994	14%
सामाजिक सेवाएं	7,611	9,899	–23%
आर्थिक सेवाएं	1,65,266	1,76,958	–7%
कर्ज एवं अग्रिम	1,10,491	24,414	353%
कुल व्यय	**35,09,836**	**26,86,870**	**31%**

क्षेत्रवार व्यय (₹ करोड़)

विवरण	2020–21	2019–20	वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि
सामान्य सेवाएं	13,73,306	12,68,660	8%
सामाजिक सेवाएं	1,73,062	1,43,188	21%
आर्थिक सेवाएं	12,68,350	7,19,877	76%
सहायता अनुदान एवं अंशदान	5,84,627	5,30,731	10%
कर्ज और अग्रिम	1,10,491	24,414	353%
कुल व्यय	35,09,836	26,86,870	31%

कुल पूंजीगत व्यय में से ₹3,15,826 करोड़ (74%) परिसंपत्ति निर्माण पर व्यय किए गए, शेष कर्ज एवं अग्रिम (26%) के रूप में थे।

वर्ष	परिसंपत्ति निर्माण		कर्ज एवं अग्रिम		कुल
2011–12	1,30,575	82%	28,005	18%	1,58,580
2012–13	1,45,144	87%	21,714	13%	1,66,858
2013–14	1,68,478	90%	19,197	10%	1,87,675
2014–15	1,67,463	85%	29,218	15%	1,96,681
2015–16	2,26,685	90%	26,337	10%	2,53,022
2016–17	2,49,472	87%	36,810	13%	2,86,282
2017–18	2,45,112	93%	18,027	7%	2,63,139
2018–19	2,79,493	92%	28,221	8%	3,07,714
2019–20	3,11,851	93%	24,414	7%	3,36,265
2020–21	3,15,826	74%	1,10,491	26%	4,26,317

क्षेत्रवार आबंटन

समग्र रूप से, सामान्य सेवाओं पर व्यय ₹13,73,306 करोड़ (कुल व्यय का 39%) था। इसमें राज्यों के अंग, राजकोषीय सेवाओं, पेंशनों, रक्षा आदि पर व्यय शामिल हे। सामाजिक सेवाओं पर व्यय ₹1,73,062 करोड़ (कुल व्यय का 5%) और आर्थिक सेवाओं पर ₹12,68,350 करोड़ (कुल व्यय का 36%) था। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों, अन्य सार्वजनिक संस्थाओं और विभिन्न अन्य निकायों को सहायता अनुदान के रूप में ₹5,84,627 करोड़ (कुल व्यय का 17%) जारी किए गए थे। वर्ष के दौरान ₹1,10,491 करोड़ (कुल व्यय का 3%) के कर्ज और अग्रिम प्रदान किए गए। सहायता अनुदानों पर व्यय में ₹1,06,317 करोड़ राशि का जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि का अंतरण भी शामिल है, जबकि इस वर्ष में ऋण एवं अग्रिम में रेल मंत्रालयों द्वारा दिया गया ₹79,398 करोड़ का ऋण शामिल है।

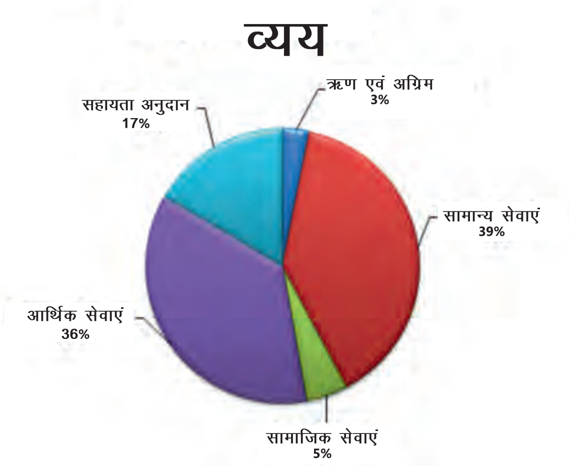

सहयिकियां (सब्सिडी)

सहायिकियों पर व्यय जो कि वर्ष 2019–20 में ₹2,62,304 करोड़ था वह वर्ष 2020–21 में ₹7,54,936 करोड़ हो गया, इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 188% की वृद्धि हुई। खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम पर सहायिकियां क्रमशः ₹5,41,330 करोड़, ₹1,27,922 करोड़ तथा ₹36,755 करोड़ थीं। खाद्य सहायिकी में पिछले वर्ष से 398% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में पेट्रोलियम सहायिकी में 5% और उर्वरक सहायिकी में 58% की वृद्धि हुई। अन्य मदों के सहायिकी बिल में 44% की कमी हुई।

मुख्य सहायिकियां (₹ करोड़)

विवरण	2020–21	2019–20	वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि
खाद्य	5,41,330	1,08,688	398%
उर्वरक	1,27,922	81,124	58%
पेट्रोलियम	36,755	38,529	–5%
अन्य	48,929	33,963	–44%
कुल	**7,54,936**	**2,62,304**	**188%**

1. वेतन एवं भत्ते व्यय के महत्वपूर्ण भाग हैं। वेतन एवं भत्तों पर मंत्रालय–वार/विभाग–वार व्यय दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट–6 पर है।
2. सहायिकियों के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट–7 पर है।

वर्ष 2020–21 में ब्याज सहायिकी ₹28,686 करोड़ थी। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹4,983 करोड़ की वृद्धि हुई। ब्याज सहायिकी का मुख्य घटक किसानों को अल्पकालिक ऋण (₹17,790 करोड़) उपलब्ध कराने के लिए दी गई आर्थिक सहायता और आर्थिक रूप से पिछड़े/निम्न आय समूह/मध्यम आय समूह के लिए क्रेडिट लिंक सहायिकी स्कीम (₹6,750 करोड़) थी। अन्य सहायिकियां भी वर्ष 2019–20 में ₹10,260 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020–21 ₹20,243 करोड़ हो गईं।

निवल उधार

सरकार उधार प्रदान कार्यों के मुख्य लाभार्थी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें और विभिन्न सार्वजनिक निगम एवं संस्थान होते हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान, सरकार ने ₹2,49,845 करोड़ के नए कर्ज दिए और पिछले वर्षों में दिए गए कर्जों की पुनर्अदायगी के रूप में ₹29,923 करोड़ प्राप्त किए। इससे, अग्रिमों की राशि में ₹2,19,922 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2020–21 के अंत में, सरकार द्वारा दिए गए कर्ज ₹5,58,394 करोड़ थे।

सरकार द्वारा दिए गए उधार
(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	01–अप्रैल–20	वृद्धियां	प्राप्तियां	31–मार्च–21	वृद्धि/कमी
1.	राज्य सरकारें	1,76,514	1,48,804	16,063	3,09,255	1,32,741
2.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें	4,300	0	44	4,256	–44
3.	विदेशी सरकारें	14,228	539	311	14,456	228
4.	सरकारी निगम, गैर सरकारी संस्थाएं, स्थानीय निधियां, कृषक आदि	1,43,247	1,00,356	13,401	2,30,202	86,955
5.	सरकारी कर्मचारी	183	146	104	225	42
	कुल	**3,38,472**	**2,49,845**	**29,923**	**5,58,394**	**2,19,922**

निवेश

वर्ष 2020–21 के दौरान सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, आदि में ₹1,14,572 करोड़ का निवेश किया। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कंपनियों में सरकार का कुल निवेश ₹12,42,740 करोड़ था।

कंपनियों आदि में सरकार का निवेश
(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	निवेश की गई राशि
1.	सांविधिक निगम	8,767
2.	सरकारी कंपनियां	5,99,496
3.	अंतर्राष्ट्रीय निकाय	1,67,640
4.	राज्य सहकारी बैंक/अन्य बैंक	4,66,560
5.	सहकारी समितियां	277
	कुल	**12,42,740**

व्यय के मंत्रालय–वार/विभाग–वार ब्योरे परिशिष्ट–8 पर हैं।

ऋण और अन्य देयताएं

राजस्व की तुलना में व्यय के आधिक्य को पूरा करने के लिए सरकार आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से उधार का सहारा लेती है जिसे लोक ऋण कहा जाता हे। इसके अलावा, लोक लेखा में प्रोद्भवन भी सरकार के घाटे के वित्तपोषण के स्रोत के रूप में भी काम करता है।

31 मार्च, 2021 को सरकार की कुल देनदारी ₹1,13,47,443 करोड़ थी। आंतरिक ऋण ₹99,09,543 करोड़ (87%), बाह्य ऋण [ऐतिहासिक मूल्य पर] ₹3,88,472 करोड़ (4%) और अन्य देयताएं ₹10,49,428 करोड़ (9%) थीं।

भारत सरकार के ऋण और अन्य देयताएं

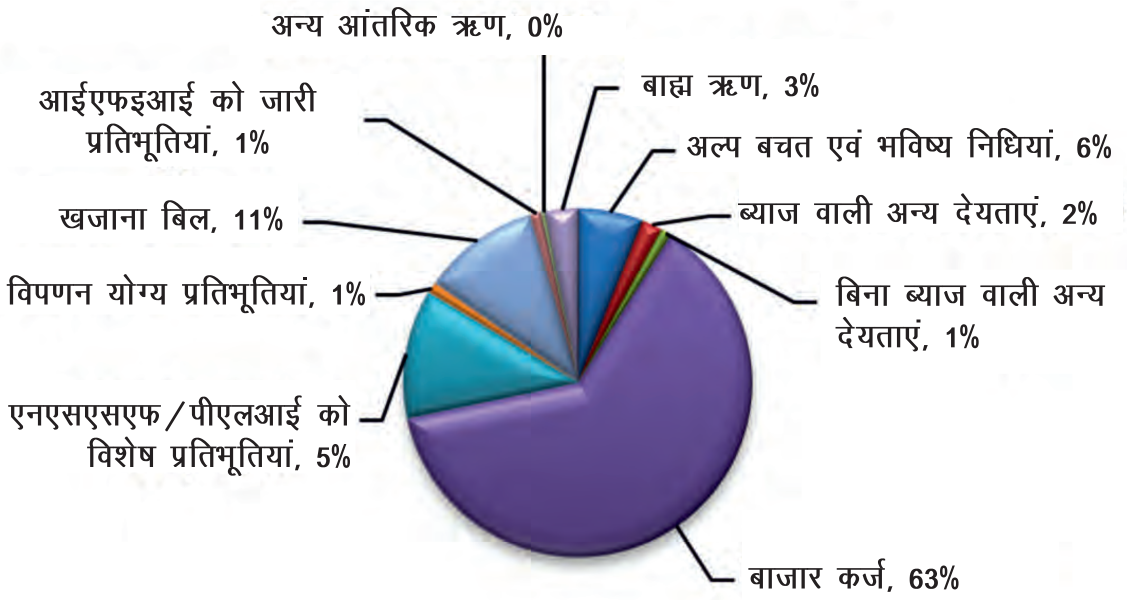

31 मार्च 2021 तक, कुल सार्वजनिक ऋण [ऐतिहासिक मूल्य पर लिया गया बाह्य ऋण] ₹1,02,98,015 करोड़ था। वर्ष के प्रारंभ में सार्वजनिक ऋण ₹83,19,740 करोड़ से वर्ष के दौरान 23% बढ़ गया। 31.03.2021 को, चालू विनिमय दर पर लोक ऋण ₹1,05,24,371 करोड़ था जबकि 31.03.2020 को यह ₹85,64,884 करोड़ था।

आंतरिक ऋण

आंतरिक ऋण के मुख्य संघटक बाजार कर्ज, भारतीय रिजर्व बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियां, 1.4.1999 से अल्प बचतों के निवल संग्रहण की तुलना में केन्द्र सरकार को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां, प्रतिपूर्ति और अन्य बांड आदि हैं। इसके अतिरिक्त, खजाना बिलों से उधार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं आदि को जारी की गई प्रतिभूतियां भी आंतरिक ऋण का भाग होती हैं।

वर्ष के आरंभ में आंतरिक ऋण की कुल राशि ₹80,20,490 करोड़ थी जोकि वर्ष के अंत में बढ़कर ₹99,09,543 करोड़ हो गई। बाजार कर्ज में ₹11,49,018 करोड़ की वृद्धि होकर वह ₹71,35,126 करोड़ हो गया।

आंतरिक ऋण (₹ करोड़)

स्रोत	1 अप्रैल, 2020	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च, 2021	वृद्धि/कमी
बाजार कर्ज	*59,86,108	15,27,366	3,78,348	71,35,126	11,49,018
अ.वि.सं. को जारी प्रतिभूतियां	1,01,909	8,936	10,544	1,00,301	–1,608
364 दिवसीय खजाना बिल	2,17,670	4,58,240	2,17,670	4,58,240	2,40,570
अर्थोपाय अग्रिम	–	3,98,990	3,98,990	–	–
14 दिवसीय खजाना बिल विक्रय प्रतिभुतियां	1,54,911	37,45,790	36,95,125	2,05,576	50,665
रा.अ.ब.नि को केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूति (31.3.99)	35,688	–	2,277	33,411	–2,277
	64,569	–	–	64,569	–
रा.अ.ब.नि को केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूति (1.4.99)					
	3,86,897	4,42,461	42,502	7,86,856	3,99,958
पीएलआई के अंतर्गत शेष राशियों के बदले जारी केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियां	20,894	4,000	4,000	20,894	–
अन्य	*10,51,844	14,53,189	14,00,464	11,04,569	52,726
कुल आंतरिक ऋण	**80,20,490**	**80,38,972**	**61,49,920**	**99,09,543**	**18,89,052**

बाह्य ऋण

वर्ष 2020–21 के अंत में बाह्य ऋण का स्टॉक [ऐतिहासिक विनिमय दरों पर] ₹3,88,472 करोड़ था जो कुल बकाया ऋण का 3.8% होता है। वर्तमान विनिमय दर पर [31.3.2021 की स्थिति के अनुसार] यह ₹6,14,828 करोड़ है – इसमें 31.3.2020 की स्थिति के अनुसार बकाया ₹5,44,394 करोड़ की तुलना में ₹70,434 करोड़ की वृद्धि हुई।

ब्याज वाले बाजार कर्जों का परिपक्वता विवरण परिशिष्ट–9 पर है।

* पूर्व अवधि समायोजन के कारण ओ/बी में अन्तर

बाह्य ऋण (₹ करोड़)						
	ऐतिहासिक विनिमय दरों पर					
स्रोत	1 अप्रैल 2020	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च 2021	वृद्धि/कमी	वर्तमान मूल्य
आई.डी.ए.	44,971	12,216	12,010	45,177	206	1,61,408
जापान	99,368	18,648	6,494	1,11,522	12,154	1,47,570
ए.डी.बी.	75,302	24,144	6,159	93,286	17,985	1,17,207
जर्मनी	3,776	6,494	1,329	8,941	5,165	22,928
आईबीआरडी	55,100	27,851	7,073	75,878	20,778	99,206
आईएफएडी	1,856	228	168	1,916	60	3,638
संयुक्त राज्य अमरीका	−1,244	260	165	−1,149	95	425
अन्य	20,121	34,097	1,317	52,901	32,780	62,446
कुल बाह्य ऋण	**2,99,250**	**1,23,938**	**34,715**	**3,88,472**	**89,222**	**6,14,828**

विदेशी मुद्रा में बाह्य ऋण को निम्नलिखित सारणी में दर्शायागया है।

विदेशी मुद्रा में बाह्य ऋण (₹ करोड़)						
स्रोत	मुद्रा	1 अप्रैल, 2020	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च 2021	वृद्धियां/कमी
एडीबी	**अमरीकी डालर**	**1,377**	**319**	**83**	**1,613**	**236**
जर्मनी	यूरो	210	73	15	269	58
आईबीआरडी	अमरीकी डालर	1106	355	95	1,365	259
आईडीए	अमरीकी डालर	247	85	24	308	61
आईडीए	एसडीआर	1394	47	98	1,343	−51
जापान	येन	2,09,099	22,799	9352	2,22,546	13,447
रूसी परिसंघ	₹	481	—	28	453	−28
रूसी परिसंघ	अमरीकी डालर	173	40	11	202	29

लोक लेखे की देयताएं

31 मार्च 2021 को, लोक लेखे में ₹10,49,428 करोड़ की कुल देयताएं थीं। ब्याज वाली देयताएं ₹7,15,480 करोड़ की थी और शेष ₹1,18,469 करोड़ की देयताएं बिना ब्याज वाली थीं।

लोक लेखे की देयताएं (₹ करोड़)					
विवरण	1 अप्रैल, 2020	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च 2021	वृद्धि/कमी
अल्प बचत, भविष्य निधि आदि*	5,74,881	16,60,979	15,20,380	7,15,480	1,40,599
अन्य ब्याज वाली	1,60,862	1,11,562	56,944	2,15,480	54,618
आरक्षित निधि	−13,792	81,399	50,603	17,004	30,796
जमा	1,74,654	30,163	6,341	1,98,476	23,822
अन्य बिना ब्याज वाली	1,43,581	7,57,649	7,82,762	1,18,468	−25,113
आरक्षित निधि	50,294	4,70,859	4,97,110	24,043	−26,251
जमा	93,287	2,86,790	2,85,652	94,425	1,138
कुल	8,79,324	25,30,190	23,60,086	10,49,428	1,70,104

*31 मार्च, 2021 स्थिति के अनुसार, अल्प बचतों, भविष्य निधि आदि के कारण केन्द्र सरकार की कुल देयता ₹14,27,325 करोड़ है। इसमें से ₹78,525 करोड़ संचयी घाटा है, ₹4,15,506 करोड़ का निवेश विशेष राज्य सरकार प्रतिभूतियों में किया गया, ₹1,25,636 करोड़ का निवेश विभिन्न सरकारी उपक्रमों में किया गया और पोलिफ से संबंधित ₹92,178 करोड़ का निवेश निजी फंड मैनेजरों के साथ किया गया जिससे इस लेखे में निवल बकाया देयता ₹7,15,480 करोड़ होती है।

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि

भारत के लोक लेखे में राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को 1.4.1999 को स्थापित किया गया था। इस निधि में धन अल्प बचत स्कीमों के अभिदाताओं से प्राप्त किया जाता है और इसमें उपलब्ध शेष को केन्द्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। इसमें निवेश का स्वरूप भारत सरकार के समय–समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुरूप होता है। 1 अप्रैल, 2002 से, अल्प बचतों के समग्र निवल संग्रहण को सबंधित राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त संग्रहणों के अनुपात में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडलों वाले) की विशेष प्रतिभूतियों में पुनः निवेश किया जाता है।

वर्ष 2020–21 के दौरान राष्ट्रीय अल्प बचत निधि संग्रहण [निवल] ₹3,05,564 करोड़ था। इस अवधि के दौरान निधि की आय [इसके निवेशों पर] और व्यय क्रमशः ₹1,52,984 करोड़ और ₹1,22,047 करोड़ था। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के निवेश में ₹2,17,891 करोड़ की वृद्धि हुई। इस प्रकार, इस निधि के अंतर्गत शेष राशि जो कि वर्ष के आरंभ में ₹1,25,980 करोड़ थी वह वर्ष के अंत में बढ़कर ₹2,44,590 करोड़ हो गई।

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (₹ करोड़)

विवरण	1 अप्रैल, 2020	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च, 2021	वृद्धि/कमी
अंतर्वाह	**17,81,883**	**10,94,128**	**6,35,580**	**22,40,430**	**4,58,548**
संग्रहण	17,81,883	9,41,144	6,35,580	20,87,446	3,05,564
बचत जमा	8,77,688	7,50,164	5,69,500	10,58,352	1,80,664
बचत प्रमाणपत्र	2,51,749	68,213	33,056	2,86,906	35,157
लोक भविष्य निधि	6,52,446	1,22,767	33,024	7,42,189	89,743
निवेश से आय	–	1,52,984	–	1,52,984	1,52,984
बहिर्वाह	**16,55,903**	**4,28,947**	**7,68,885**	**19,95,841**	**3,39,938**
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि का निवेश	16,55,903	4,28,947	6,46,838	18,73,794	2,17,891
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	8,48,919	42,503	5,26,235	13,32,651	4,83,732
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	4,40,438	45,898	20,967	4,15,507	–24,931
अन्य लिखतों के अंतर्गत निवेश	3,66,546	3,40,546	99,636	1,25,636	–2,40,910
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि का व्यय	–	..	1,22,047	1,22,047	1,22,047
शेष	**1,25,980**	**6,65,181**	**–1,33,305**	**2,44,590**	**1,18,610**

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम के अभिदाताओं के संबंध में, निधि के कुल स्टॉक में ₹20,87,447 करोड़ की देयताएं थी, जिनमें से ₹10,58,351 करोड़ बचत जमाओं के तहत, ₹2,86,906 करोड़ बचत प्रमाण–पत्रों के तहत और ₹7,42,189 करोड़ सार्वजनिक भविष्य निधि के रूप में रखे गए हैं। वर्ष 2020–21 के अंत में निधियों का निवेश ₹18,73,794 करोड़ था, जिसमें से, ₹4,15,507 करोड़ राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में, ₹13,32,651 करोड़ केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में और ₹1,25,636 करोड़ अन्य लिखतों के अंतर्गत निवेश किए गए हैं।

आकस्मिक देयताएं

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन, संघ सरकार उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद कानून द्वारा निर्धारित करे, गारंटियां दे सकती है। राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली में यह अनुबंध किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2004–05 से आरंभ होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से अधिक धन राशि के लिए गारंटी नहीं देगी।

गारंटियों का विवरण 01.04.2010 से प्रभावी संगत 'भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों' के अनुसार है।

इन प्रावधानों के अधीन, सरकार विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को उनके उधारों की पुनर्अदायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, उसकी शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी और न्यूनतम लाभांश की अदायगी तथा उधार के आधार पर सामग्रियों और उपस्कर की आपूर्तियों के तहत भुगतान को शामिल किया जाता है। ये गारंटियां सरकार की आकस्मिकता देयताओं का हिस्सा हैं, जिन्हें ऐसी गारंटियों के लाभार्थियों द्वारा कोई चूक होने के स्थिति में भारत की समेकित निधि से उन्मोचित किया जाता होता है।

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किया था, ₹5,33,590 करोड़ थी और ₹4,97,599 करोड़ की कुल गारंटियां बकाया थीं। वर्ष 2020–21 के लिए गारंटियों की निवल अभिवृद्धि ₹27,520 करोड़ है। ₹63,510.97 करोड़ अर्थात् सकल घरेलू उत्पाद का 0.32% की गारंटियों की वचनबद्धतों सरकार द्वारा 2010–21 में दी गई थी। वर्ष 2019–20 के दौरान वसूल किए गए ₹1,070 करोड़ की तुलना में सरकार ने गारंटी शुल्क के रूप में ₹1,813 करोड़ वसूल किए।

सरकार की गारंटियां (₹ करोड़)

	विवरण	31–मार्च–20	31–मार्च–21	वृद्धियां/कमी
I	**भारतीय रिजर्व बैंक, बैंको, और अन्य वित्तीय संस्थानों को मूलधन और ब्याज आदि की पुनः अदायगी के लिए गारंटियां।**	**74,697**	**78,336**	**3,638**
II	सांविधिक निगमों और वित्तीय संस्थानों को शेयर पूंजी के पुनःअदायगी, न्यूनतम लाभांश की अदायगी, बांडों/ऋणों की अदायगी आदि के लिए गारंटियां।	47,670	72,919	25,250
III	मूलधन की पुनः अदायगी, ऋण आदि पर ब्याज/प्रतिबद्ध ता शुल्क का भुगतान और कंपनियों, निगमों, पत्तन न्यासों आदि को पूर्ति संबंधी करारों के तहत प्रति अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, विदेशी ऋणदाता एजेंसियों, विदेशी सरकारों आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में गारंटियां।	3,47,712	3,46,344	–1,368
IV	कंपनियों/निगमों को आपूर्ति के लिए विदेशी पूर्तिकर्ताओं को प्राधिकार पत्र के लिए बैंकों को प्राति–गारंटियां।	–	–	–
V	रेलवे/राज्य विद्युत बोर्डों को	–	–	–
VI	विदेशों में भारतीय कंपनियों को प्रदान की गई संविदाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निष्पादन गारंटी।	–	–	–
VII	कोई अन्य	–	–	–
	कुल	**4,70,079***	**4,97,599**	**27,520**

*नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पिछली बची हुई गारंटी को शामिल करने के कारण पिछले वर्ष की बकाया गारंटी में परिवर्तन।

विनियोग लेखे

वर्ष 2020–21 के लिए संघ, संसद ने सरकार के सिविल मंत्रालयों के लिए 97 अनुदानों के अंतर्गत ₹10,139,292 करोड़ के कुल प्रावधान का अनुमोदन प्रदान किया। इस प्रावधान को वर्ष के दौरान ₹842,501 करोड़ के पूरक अनुदान आदि के माध्यम से बढ़ाकर ₹10,981,793 करोड़ कर दिया गया जोकि पिछले वर्ष की तुलना में ₹1,531,134 करोड़ [16%] अधिक था।

इस प्रावधान के अंतर्गत वर्ष के दौरान किया गया वास्तविक व्यय ₹9,946,155 करोड़ था। प्रभारित अंश के अंतर्गत ₹738,056 करोड़ की बचत के साथ व्यय ₹7,121,334 करोड़ था, जबकि स्वीकृत हिस्से के अंतर्गत व्यय ₹2,824,821 करोड़ था जिसमें ₹297,582 करोड़ की बचतें शामिल हैं।

विनियोग लेखे (सिविल) का सार (₹ करोड़)

	मूल प्रावधान	अंतिम प्रावधान	अंतर	वास्तविक व्यय	अंतर
	(1)	(2)	(3)=(2)–(1)	(4)	(5)=(4)–(2)
प्रभारित	78,05,717	78,59,390	53,673	71,21,334	(–)7,38,056
स्वीकत	23,33,575	31,22,403	7,88,828	28,24,821	(–) 2,97,582
कुल	**1,01,39,292**	**1,09,81,793**	**99,46,155**	**8,42,501**	**(–)10,35,638**

स्वीकृत व्यय कुल व्यय का 28% था, शेष 72% प्रभारित व्यय था।

प्रभारित व्यय

वर्ष 2020–21 के दौरान सिविल मंत्रालयों के प्रभारित व्यय में मुख्य रूप से 'ऋण की पुनः अदायगी' (₹6,184,635 करोड़), ब्याज अदायगी (₹720,985 करोड़) और राज्यों को अंतरण' (₹2,10,826 करोड़) शामिल थे। ये तीनों मिलकर कुल प्रभारित व्यय का 99.93% होते हैं। विनियोग–ऋण की पुनः अदायगी में विभिन्न परिपक्वताओं के खजाना बिलों के उन्मोचन और अर्थोपाय अग्रिमों संबंधी ₹5,551,910 करोड़ की राशि शामिल है।

अधिक व्यय

अनुदानों के राजस्व/पूंजीगत भाग के प्रभारित और स्वीकृत अंश में कुल प्रावधानों की तुलना में अधिक व्यय के तीन दृष्टांत थे।

बजट प्रावधान की तुलना में अधिक व्यय (₹ करोड़)							
अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		वास्तविक व्यय		अधिक व्यय	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
15	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	435596		554245		118649	
18	रक्षा मंत्रालय (सिविल)		8805		8807		2
21	रक्षा पेंशन						
	प्रभारित	7.31	–	7.83	–	0.52	–

बचतें

वर्ष 2020–21 के दौरान, सिविल अनुदानों/विनियोगों के संबंध में ₹1,035,638 करोड़ की बचतें हुईं। कुल ₹118,652 करोड़ का अधिक व्यय भी हुआ। निम्नलिखित अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत महत्वपूर्ण बचतें हुईं।

महत्त्वपूर्ण बचत				
अनुदान/विनियोग		भाग	बचतें (₹ करोड़)	कारण
सं.	विवरण			
1	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	राजस्व स्वीकृत	25944	राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों से डेटा प्राप्त नहीं होने, कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान) के अंतर्गत कम किसानों का पंजीकरण होने तथा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण।
13	दूरसंचार विभाग	पूंजीगत स्वीकृत	22319	कोविड–19 महामारी के कारण 4जी के लिए निविदा में देरी होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क के लिए प्रावधान में कमी किए जाने के कारण।
15	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	पूंजीगत स्वीकृत	40009	सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम की सहायिकी में वृद्धि किए जाने के कारण अर्थोपाय अग्रिम के जरिए कम वित्तपोषण होने के कारण।

महत्त्वपूर्ण बचत

अनुदान/विनियोग		भाग	बचतें (₹ करोड़)	कारण
सं.	विवरण			
27	आर्थिक कार्य विभाग	पूंजीगत स्वीकृत	33650	सोना कम जमा होने, सोने की कीमतों में उतार–चढ़ाव होने तथा अवसंरचना पाईपलाईन के लिए सहायता हेतु करार का निष्पादन न किए जाने के कारण।
35	ब्याज अदायगियां	राजस्व प्रभारित	12218	पुनः खरीद (रेपो) दर में कमी किए जाने के कारण ब्याज दरों में कमी आने और स्विच ऑपरेशनों के तहत कम लेन देने होने, राज्य सरकार द्वारा कम निवेश किए जाने, कम प्रतिभूतियां जारी किए जाने, परिपक्वता प्राप्त स्कीमों के कम दावे प्राप्त होने के निवेशकों को अदा न किए गए ब्याज और ऋणों का कम वितरण होने के कारण।
36	कर्ज की पुनः अदायगी	पूंजीगत प्रभारित	706286	सरकारी लेखे में अधिशेष नकदी की उपलब्धता होने के कारण अर्थोपाय अग्रिम का कम मात्रा में इस्तेमाल किए जाने, कम मात्रा में स्विच ऑपरेशन किए जाने और 14 दिवसीय खजाना बिलों में राज्य सरकार द्वारा कम निवेश किए जाने के कारण।
38	राज्यों को अंतरण	राजस्व प्रभारित	12465	संशोधित प्राक्कलन चरण में ग्रामीण/शहरी निकाय अनुदानों (राज्य) के लिए विनियोग में कमी किए जाने के कारण।
		राजस्व स्वीकृत	27426	विशेष सहायता के लिए राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त न होने और संशोधित प्राक्कलन चरण में गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के लिए एनडीआरएफ से राज्यों को सहायता के लिए प्रावधान में कमी किए जाने के कारण।
42	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	राजस्व स्वीकृत	44829	कोविड–19 महामारी के कारण पूर्तियों की अधिप्राप्ति में विलंब होने, पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने, कोविड–19 महामारी फैल जाने के कारण कुछ राज्यों द्वारा स्कीमों का कार्यान्वयन न किए जाने, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में राष्ट्रीय निवेश निधि को निधियों के अंतरण के लिए प्रावधान में कमी किए जाने और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन) को अंतरण से संबंधित लेखांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण।

महत्त्वपूर्ण बचत				
अनुदान/विनियोग		भाग	बचतें (₹ करोड़)	कारण
सं.	विवरण			
57	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	पूंजीगत स्वीकृत	10824	एमआरटीएस तथा मैट्रो परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों से ऋणों तथा निवेश के लिए कम मांग प्राप्त होने तथा कोविड–19 दिशानिर्देशों के कारण व्यय पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण।
58	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	राजस्व स्वीकृत	22027	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (मस्क) की लेखांकन प्रक्रिया का संचालन न किए जाने, प्रारंभिक शिक्षा कोष की सीमा को बढाए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ), केन्द्रीय सड़क तथा अवसंरचना निधि और समग्र शिक्षा – आरंभिक शिक्षा को अंतरण के लिए प्रावधान में कमी किए जाने के कारण।
59	उच्चतर शिक्षा विभाग	राजस्व स्वीकृत	23077	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (मस्क) की लेखांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण के लिए प्रावधान में कमी किए जाने के कारण।
100	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	राजस्व स्वीकृत	11264	आंगनवाड़ी सेवाओं तथा अम्ब्रेला आईसीडीएस से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने, नीति आयोग द्वारा स्कीम मूल्यांकन को अंतिम रूप न दिए जाने, समुदाय आधारित कार्यकलापों का आयोजन न होने और कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण।

₹100 करोड़ और इससे अधिक की बचत वाले अनुदानों/विनियोगों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट–10 पर है।

शब्दावली

आंकड़े प्रदाता संगठन

इस पुस्तिका में जो वित्तीय विवरण और लेखे प्रस्तुत किए गए हें वे भारत सरकार और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित हैं। अन्य सरकारी संगठनों जैसे राज्य सरकारो, अन्य संघ राज्य क्षेत्रो, सरकारी स्वामित्व वाले व्यावसायिक उद्यमों, स्वायत्त निकायों आदि के लेखों का शामिल नहीं किया गया है।

लेखे अनुच्छेद 151 (1) के अधीन सांविधानिक प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

लेखों का स्वरूप और विषय–वस्तु

संविधान के अनुच्छेद 150 में "नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति जिस रूप में निर्धारित करें" सरकार के लेखों का रख–रखाव करने का प्रावधान किया गया है। लेखों के स्वरूप और अंशों के निर्धारण संबंधी कार्यकारी शक्तियों 'कार्य का आवंटन नियमावली' के अधीन महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय को प्रत्यायोजित की गई हैं। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी लेखाकरण नियमावली, 1990 तैयार की गई है जिसमें सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं।

सरकारी वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाना है, उसका निर्धारण भी संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 266 के प्रावधानों के अनुसार, सभी सरकारी राजस्वों जिनमें सरकार द्वारा लिए गए कर्ज और उधार दी गई राशियों से होने वाली आय शामिल है, को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है और सरकार द्वारा प्राप्त की गई अन्य सभी धनराशियां लोक लेखे में जमा कर दी जाती हैं। सभी सरकारी व्यय भारत की समेकित निधि से पूरा किया जाता है।

अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए जिसे संसद से प्राधिकृत कराना लंबित रखा जाता है, सरकार के पास एक आकस्मिकता निधि अग्रदाय के रूप में रखी जाती है जिसमें ₹500 करोड़ रूपए की राशि जमा रहती है।

भारत की समेकित निधि में से धनराशियों का विनियोग अनुच्छेद 112 से 117 में समाविष्ट संविधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

लेखाकरण का रोकड़ आधार

सरकार के लेखे रोकड़ आधार पर रखे जाते हैं। राजस्वों और व्ययों को उस अवधि में मान्यता प्रदान की जाती है जिसमें वे वसूल अथवा अदा किए जाते हैं। इस अवधि के दौरान सराकार को देय या सरकार द्वारा देय राशियों को मान्यता प्रदान नहीं की जाती।

सरकारी लेखों में मुख्य रूप से निम्नलिखित को दर्ज किया जाता है:

(क) सरकारी रोकड़ शेष में और उसमें से होने वाले नकदी प्रवाह का रख–रखाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है,

(ख) सरकारी देयताओं (लोक ऋण और लोक लेखे पर लेन–देन) और वित्तीय परिसम्पत्तियों (कर्ज और अग्रिम) का भंडार, और

(ग) कुछ नकदीतर लेनदेन (समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के बीच अंतः निधि अंतरण, वस्तु के रूप में बाह्य सहायता, हानियों को बट्टे खाते डालना और पिछले कर्जों को अनुदान में परिवर्तित करना आदि)।

वित्तीय विवरण और लेखे पारंपरिक लागत की परंपरा के अनुसार रखे जाते हैं। बाह्य को ऋण का करार करने के समय लागू विनिमय दर पर दर्शाया गया है। इसी प्राकर से, सरकारी वित्तीय निवेशों (इक्विटी और कर्जों) को उनके ऐतिहासिक मूल्यों पर दर्शाया जाता है। ऐसी परिसम्पत्तियों के मूल्य की हानी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता।

लेखाकरण का आधार रोकड़ होता है, अतः भौतिक परिसंपत्तियों को मूल्यह्रासित अथवा परिशोधित नहीं किया जाता। भौतिक परिसंपत्तियों का जीवन समाप्त होने पर उनकी हानियों तथा बट्टे खाते डाले जाने को भी मान्य अथवा व्ययित नहीं किया जाता।

यहां प्रस्तुत किए गए वित्तीय विवरणों में उन सरकारी कर्मचारियों के अधिवर्षिता लाभों से संबंधित सरकार की देयता शामिल नहीं है जो पेंशन की परिभाषित लाभ स्कीम के अंतर्गत आते हैं और उन्हें 'आपके जाने पर अदायगी' आधार पर अदायगी की जाती है।

लेखाकरण अवधि

लेखों के लिए अप्रैल से मार्च का वार्षिक बजटीय चक्र अपनाया जाता है।

मुद्रा

लेखे भारतीय रुपए में रखे जाते हैं। विदेशी मुद्रा लेन देनों (प्राप्तियां और अदायगियां दोनों) को भी लागू परिवर्तन दरों पर भारतीय रुपयों में दर्ज किया जाता है।

राजस्व लेखे पर राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय

राजस्व प्राप्तियों में, परिसम्पत्तियों की बिक्री से होने वाली प्राप्तियों को छोड़कर सभी कर और करेतर प्राप्तियों को शामिल किया जाता है।

राजस्व व्यय आवर्ती स्वरूप के व्यय होते हैं और उन्हें राजस्व प्राप्तियों से पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। राज्य सरकारों और अन्य संगठनों को अंतरण अदायगियां, जिनमें प्राप्तकर्ता द्वारा परिसम्पत्ति सृजन के लिए निर्धारित अंतरण अदायगियां भी शामिल हैं, को भी राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।

पूंजीगत लेखे पर पूंजीगत प्राप्तियां एवं व्यय

पूंजीगत प्रापतियों में मुख्य रूप से सरकारी परिसम्पत्तियों की बिक्री से हुई आय शामिल होती है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से हुई आय भी शामिल होती है।

पूंजीगत व्यय वे होते हैं जो सामग्री और स्थायी स्वरूप को ठोस परिसम्पत्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। इनमें अचंल परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण, मशीनरी और उपस्कर तथा सरकारी इक्विटी निवेशों पर किया गया व्यय शामिल होता है। सरकारी के ऋण प्रचालन को भी पूंजीगत व्यय माना जाता है।

विनिमय दर में घट–बढ़

विदेशी कर्जो को पारंपरिक विनिमय दर अर्थात ऋण के करार के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। इस प्रकार के कर्जों की पुनः अदायगियों को भी पुनः अदायगी के समय प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। विनियम दर में घट–बढ़ के कारण बाह्य कर्जों पर हानि/लाभ को कर्ज की पूर्ण अदायगी के पश्चात "8680 – विविध सरकार लेखे" को व्ययित किया जाता है।

बाह्य सहायता

सहायता सामग्री, उपस्कर या अन्य आपूर्तियों के रूप में बाह्य सहायता को भी इस प्रकार की सहायता के मूल्य पर पहचान की जाती है और प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता हे। सरकारी विभागों द्वारा उपयोग के लिए ऐसी सामग्री के आवंटन अथवा अन्य संगठनों को सहायता अनुदान के रूप में संवितरण को राजस्व व्यय में दर्ज किया जाता है।

लेखाकरण मानक

गारंटी विवरण गारंटी प्रकटन अपेक्षाओं से संबंधित 'भारतीय गारंटी लेखाकरण मानक' के अनुसरण में है।

राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और इसकी कुल प्राप्तियों (उधार को छोड़कर) का अंतर है। राजकोषीय घाटे के तत्व हैं (क) राजस्व घाटा, जो कि सरकार के वर्तमान (या राजस्व) व्यय एवं कुल वर्तमान प्राप्तियों (अर्थात उधार को छोड़कर) और (ख) पूंजीगत व्यय का अंतर है। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण भारतीय रिजर्व बैंक से उधार (जिसे घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा धन जुटाना भी कहा जाता है) और बाजार उधार (मुद्रा बाजार अर्थात् मुख्यतः बैंकों से) द्वारा किया जा सकता है।

प्राथमिक घाटा

राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी घटाने पर प्रारंभिक घाटा प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या सरकार के ब्याजेतर व्यय की प्राप्तियों से अधिकता के रूप में की जा सकती है।

प्रभावी राजस्व घाटा

प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटा और पूंजीगत परिसम्पत्तियों के लिए सृजन के लिए अनुदान के बीच का अंतर है। इसे सरकार के चालू व्यय और (राजस्व लेखे पर) और पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान, जिसे राजस्व व्यय के रूप में रिकॉर्ड किया गया है, को छोड़कर राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों का अर्थोपाय अग्रिम उपलब्ध करवाता है ताकि वे अपनी प्राप्तियों एवं अदायगियों के नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल होने की स्थिति को समाप्त कर सकें। ऐसे अग्रिम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत 'प्रत्येक मामलें में उस अग्रिम को देने की तारीख से 3 माह तक प्रतिदेय' होते हैं। दो प्रकार के अर्थोपाय अग्रिम होते हैं – सामान्य और विशेष।

बजट प्रावधान (बजट अनुमान/संशोधित अनुमान/अंतिम अनुदान)

बजट अनुमान उस वर्ष के 01 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष को सरकार का व्यय एवं प्राप्ति प्रावधान होता है जिसे सामान्यतः वित्तीय वर्ष शुरू होने से ठीक पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। किसी वर्ष के बजट दस्तावेज में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान भी दर्शाए जाते हैं जो कि सरकार का कमोबेश वास्तविक अनुमानित व्यय होता है। तथापि, वास्तविक व्यय या वास्तविक का संकलन वर्ष के दौरान किए गए सरकार के यथार्थ व्यय को लेखे में लेने के बाद किया जाता है और इसे वित्त लेखे एवं विनियोग लेखों में दर्शाया जाता है।

उधार

सरकार, सरकार के घाटे को वित्तपोषित करने के लिए आंतरिक और बाह्य स्रोतों से उधार लेती है जिसे लोक ऋण कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सरकारी घाटे के वित्तपोषण का एक स्रोत लोक लेखा भी होता है। आंतरिक उधार में मुख्य रूप से बाजार कर्जे शामिल होते हैं।

लेखों की संरचना

सरकारी लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं:

I. भारत की समेकित निधि

सरकार द्वारा आयकर, माल एवं सेवा कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, भू–राजस्व (कर राजस्व) जैसे कराधान से प्राप्त होने वाले समस्त राजस्व और रेलवे, डाक, परिवहन, आदि से प्राप्ति (करेतर राजस्व) जैसे सरकारी कार्यों से सरकार को होने वाली अन्य प्राप्तियां को समेकित निधि में जमा कर दिया जाता है। इसी प्रकार से, सरकार द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जारी करके प्राप्त किए गए सभी कर्जों, खजाना बिलों (आंतरिक ऋण) और विदेशी सरकारों व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्थाओं से प्राप्त कर्जों (बाह्य ऋण) तथा सरकार को कर्जों की पुनः अदायगी और उस पर ब्याज के रूप में प्राप्त सभी प्रकार की धनराशियों को भी इस निधि में जमा कर दिया जाता है। आंतरिक और बाह्य ऋण की पुनः अदायगी और विभिन्न प्रयोजनों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का कर्ज जारी किए जाने सहित अपना कार्य के लिए सरकार द्वारा किए गए समस्त व्यय को इस निधि के नामे डाला जाता है।

भारत की समेकित निधि संबंधी लेनदेनों को 6 – स्तरीय सौपानिक ढ़ांचे वाले कार्यों एवं कार्यक्रमों [जोकि अधिकांशतः विकास के योजना शीर्ष के अनुरूप होते हैं और ऐसा न होने पर सावंधिानिक और अन्य आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं] में विभाजित कार्यात्मक वर्गीकरण का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

- ❖ मुख्य शीर्ष – सरकार के मुख्य कार्य का द्योतक है।
- ❖ उप–मुख्य शीर्ष – सरकार के उप–कार्य का द्योतक है।
- ❖ लघु शीर्ष – सरकार के कार्यक्रम का द्योतक है।
- ❖ उप शीर्ष – स्कीम का द्योतक है।
- ❖ ब्योरेवार शीर्ष – उप स्कीम का द्योतक है, और
- ❖ वस्तुगत शीर्ष – व्यय के उद्देश्य के लिए [जैसे वेतन, कार्यालय व्यय]

व्यय लेन देनों को 'स्वीकृत' या 'प्रभारित' व्यय में भी वर्गीकृत किया जाता है।

II. भारत की आकस्मिकता निधि

यह निधि अग्रदाय स्वरूप की होती है और उसे भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में रखा जाता है ताकि सरकार अप्रत्याशित व्यय को संसद से उसे प्राधिकृत कराए जाने तक लंबित रखकर पूरा कर सके। इस धनराशि का उपयोग प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने और साथ ही सरकार द्वारा किसी नई नीति को लागू करने के निर्णय को संसद से इसका अनुमोदन लंबित रखते हुए कार्यान्वित करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे सभी मामलों में, संसद का अलग सत्र बुलाए जाने पर चालू वित्त वर्ष के दौरान स्कीम/परियोजना पर किए जाने कुल व्यय को दर्शाते हुए एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। संसद द्वारा विधेयक को स्वीकृति दिए जाने के पश्चात, आकस्मिकता निधि में से पहले ही खर्च की जा चुकी धनराशि की संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष आदि में व्यय नामे डालकर भारत की समेकित निधि में प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

III. भारत का लोक लेखा

सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली समस्त सार्वजनिक धनराशि, उन धनराशियों से भिन्न जो भारत की समेकित निधि में जमा की जाने वाली हैं, लोक लेखे के अंतर्गत लेखाबद्ध की जाती है। लोक लेखे में जमा की जाने वाली प्राप्तियों और इसमें से किए जाने वाले संवितरणों को संसद से स्वीकृत नहीं कराया जाता। इस लेखे के अंतर्गत प्राप्तियां मुख्य रूप से बचत प्रमाण–पत्रों की बिक्री, सामान्य भविष्य निधि और लोक भविष्य निधि में अंशदानों, सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली प्रतिभूति जमाओं और बयाना जमाओं से आती हैं। इन प्राप्तियों के संबंध में, सरकार बैंकर या न्यासी की भूमिका निभाती है और संविदा/कार्य पूरा होने के बाद धनराशि वापस करती है। लोक लेखे में विभिन्न उचंत और प्रेषण शीर्ष भी शामिल होते हैं।

लोक लेखे संबंधी लेन देनों को प्राप्तियों और संवितरणों के रूप में दर्ज किया जाता है और उन्हें निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- अल्प बचत
- आरक्षित निधियां
- जमा और अग्रिम
- उचंत और विविध
- प्रेषण
- रोकड़ शेष

परिशिष्ट

1.	दस वर्षीय सारांश	42
2.	करेतर राजस्वों का विवरण	44
3.	वाणिज्यिक प्राप्तियों का विवरण	45
4.	मुख्य स्कीमों पर व्यय	46
5.	मुख्य मदों में राजस्व–पूंजीगतवार व्यय	48
6.	वेतन और भत्तों पर व्यय	50
7.	सहायिकियों का विवरण	58
8.	मंत्रालयों और विभागों का व्यय	61
9.	ब्याज वाले बाजार कर्ज का परिपक्वता ब्योरा	78
10.	₹100 करोड़ और उससे अधिक की बचत/अधिक व्यय वाले अनुदान/विनियोग	79
11.	विनियोग लेखे 2020–21 का सारांश	87
12.	वस्तु शीर्षवार व्यय 2020–21	100

दस वर्षीय सारांश

परिशिष्ट–1

(₹ करोड़)

	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
राजस्व प्राप्तियां	7,51,158	8,79,231	10,14,719	11,01,381	11,95,025	13,75,956	14,35,078	15,53,011	16,84,059	16,33,919
सकल कर राजस्व	8,84,900	10,33,424	11,34,084	12,41,424	14,49,958	17,09,372	19,15,492	20,78,665	20,07,579	20,27,104
निगम कर	3,22,816	3,56,326	3,94,678	4,28,925	4,53,229	4,84,924	5,71,202	6,63,572	5,56,876	4,57,719
वस्तु और सेवा कर							4,42,561	5,81,559	5,98,729	5,48,778
आयकर	1,64,525	1,96,843	2,37,817	2,58,325	2,80,323	3,40,505	4,08,091	4,61,488	4,80,097	4,87,143
सीमा शुल्क	1,49,328	1,65,346	1,72,085	1,88,016	2,10,338	2,25,370	1,29,030	1,17,813	1,09,283	1,34,750
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	1,44,901	1,75,845	1,69,455	1,89,038	2,87,148	3,80,495	2,58,636	2,30,992	2,39,452	3,89,667
सेवा कर	97,509	1,32,601	1,54,778	1,67,969	2,11,414	2,54,499	81,228	6,904	6,029	1,615
केंद्र को निवल कर राजस्व	6,29,486	7,41,877	8,15,854	9,03,615	9,43,765	11,01,372	12,42,487	13,17,211	13,56,902	14,26,287
करेतर राजस्व	1,21,672	1,37,354	1,98,865	1,97,766	2,51,260	2,74,584	1,92,591	2,35,800	3,27,157	2,07,632
ब्याज प्राप्तियां	20,252	20,760	21,868	23,712	25,378	16,229	13,574	12,145	12,349	17,113
लाभांश और लाभ	50,608	53,761	90,435	89,833	1,12,127	1,23,017	91,360	1,13,420	1,86,133	96,878
ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियां	36,938	40,950	41,865	51,475	62,975	65,513	1,15,678	1,12,684	68,620	57,626
विनिवेश आय	401	2,761	4,231	1,415	1,249	2,921	2,802	4,449	9,010	1,725
व्यय	13,04,365	14,10,371	15,59,447	16,63,673	17,90,783	19,79,268	21,41,818	23,15,113	26,86,870	35,09,836
योजना व्यय	4,12,375	4,13,627	4,53,327	4,62,643	4,71,083	5,68,599	0	0	0	0
गैर योजना व्यय	8,91,990	9,96,744	11,06,120	12,01,030	14,10,669	14,10,669	0	0	0	0
राजस्व व्यय	11,45,785	12,43,513	13,71,772	14,66,992	15,37,761	16,92,986	18,78,679	20,07,399	23,50,605	30,83,519
पूंजीगत व्यय	1,58,580	1,66,858	1,87,675	1,96,681	2,53,022	2,86,282	2,63,139	3,07,714	3,36,265	4,26,317
उधार ऋणात्मक पुनर्अदायगी	1,586	5,441	6,451	15,375	5,394	19,040	11,497	24,411	26,495	2,19,922
राजकोषीय घाटा	5,16,269	4,90,190	5,02,863	5,10,817	5,32,783	5,37,799	5,91,062	6,49,418	9,34,191	18,18,291
राजस्व घाटा	3,94,627	3,64,282	3,57,053	3,65,611	3,42,736	3,17,030	4,43,601	4,54,388	6,66,546	14,49,600
प्रभावी राजस्व घाटा	2,61,036	2,48,572	2,27,214	2,34,851	2,11,781	1,50,470	2,51,081	2,63,168	4,79,204	12,27,209

	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
प्रारंभिक घाटा	2,43,119	1,77,020	1,29,296	1,08,373	91,124	57,085	62,110	66,770	3,22,121	11,38,422
लोक ऋण (शेष)	35,53,519	40,96,570	46,15,250	51,04,675	57,11,425	61,49,817	68,46,557	75,49,380	85,64,884	1,05,24,371
आंतरिक ऋण	32,30,622	37,64,566	42,40,767	47,38,291	53,04,836	57,41,709	64,01,275	70,74,942	80,20,490	99,09,543
बाह्य ऋण (वर्तमान मूल्य)	3,22,897	3,32,004	3,74,483	3,66,384	4,06,589	4,08,108	4,45,282	4,74,439	5,44,394	6,14,828
भारत सरकार की अन्य देयताएं	5,97,766	6,10,016	6,44,061	6,71,010	7,11,608	7,56,448	8,06,929	8,82,119	8,79,324	10,49,428
सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)	89,12,179	1,01,13,281	1,13,55,073	1,26,53,762	1,35,76,000	1,51,83,709	1,67,73,000	1,90,10,000	2,03,40,000	1,97,46,000
सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत										
राजस्व प्राप्तियां	8.43	8.69	8.94	8.70	8.80	9.06	8.56	8.17	8.28	8.27
सकल कर राजस्व	9.93	10.22	9.99	9.81	10.68	11.26	11.42	10.93	9.87	10.27
वस्तु एवं सेवा कर							2.64	3.06	2.94	2.78
करेतर राजस्व	1.37	1.36	1.75	1.56	1.85	1.81	1.15	1.24	1.61	1.05
व्यय	14.64	13.95	13.73	13.15	13.19	13.04	12.77	12.18	13.21	17.77
राजस्व व्यय	12.86	12.30	12.08	11.59	11.33	11.15	11.20	10.56	11.56	15.62
पूंजीगत व्यय	1.78	1.65	1.65	1.55	1.86	1.89	1.57	1.62	1.65	2.16
राजकोषीय घाटा	5.79	4.85	4.43	4.04	3.92	3.54	3.52	3.42	4.59	9.21
राजस्व घाटा	4.43	3.60	3.14	2.89	2.52	2.09	2.64	2.39	3.28	7.34
प्रभावी राजस्व घाटा	2.93	2.46	2.00	1.86	1.56	0.99	1.50	1.38	2.36	6.21
लोक ऋण	39.87	40.51	40.64	40.34	42.07	40.50	40.82	39.71	42.11	53.30
आंतरिक ऋण	36.25	37.22	37.35	37.45	39.08	37.81	38.16	37.22	39.43	50.19
बाह्य ऋण	3.62	3.28	3.30	2.90	2.99	2.69	2.65	2.50	2.68	3.11

परिशिष्ट–2

करेतर राजस्व

		2020–21			2019–20		
	विवरण	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%
क	**ब्याज प्राप्तियां**						
	सकल	55,391.82	59,528.75	107	50,520.33	56,950.78	113
	घटाएं– बाजार उधारों की आनुषंगिक प्राप्तियां						
	ब्याज का अधित्याग	40,087.16	41,115.35	103	38,191.95	43,300.51	113
		1,300.00	1,300.00	100	1,301.30	1,301.29	100
	निवल	14,004.66	17,113.40	122	11,027.08	12,348.98	112
ख	**लाभांश और लाभ**	**96,543.54**	**96,877.75**	100	**1,99,892.92**	**1,86,132.54**	**93**
ग	**संघ राज्य क्षेत्रों का करेतर राजस्व**	**2,080.63**	**1,598.31**	**77**	**2,094.16**	**1,761.81**	**84**
घ	**अन्य करेतर राजस्व**						
	1. राजकोषीय राजस्व –	589.65	1,168.80	198	703.65	1,041.06	148
	अन्य सामान्य सेवाएं	35,366.09	29,840.75	84	42,433.53	38,120.09	90
	घटाएं – वाणिज्यिक विभाग						
	घटाएं – पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	18,100.00	15,768.89	87	19,703.00	17,812.01	90
		1,000.00	0.00	0	1,000.00	0.00	0
	2. निवल सामान्य सेवाएं	16,266.09	14,071.86	87	21,730.53	20,308.08	93
	3. सामाजिक सेवाएं –	3,145.44	3,790.65	121	3,655.18	3,404.20	93
	आर्थिक सेवाएं –						
	सकल	95,355.24	87,341.05	92	1,30,211.82	1,18,497.98	91
	घटाएं– वाणिज्यिक विभाग	18,754.47	16,081.00	86	24,766.52	16,702.78	67
	4. निवल आर्थिक सेवाएं	76,600.77	71,260.05	93	1,05,435.92	1,01,787.13	97
	निवल कुल – अन्य करेतर राजस्व (1+2+3+4)	**96,601.95**	**90,291.36**	**93**	**1,31,525.28**	**1,26,540.47**	**96**
	सहायता अनुदान और अंशदान	1,421.75	1,751.64	123	974.00	372.97	38
	कुल	**2,10,652.53**	**2,07,632.46**	99	**3,45,513.44**	**3,27,156.77**	95

वाणिज्यिक प्राप्तियां

(₹ करोड़)

	2020–21			2019–20		
विवरण	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%
सामान्य सेवाएं						
1. कैंटीन स्टोर विभाग	18,100.00	15,768.89	87.12	19,703.00	17,812.01	90.40
आर्थिक सेवाएं						
2. दिल्ली दुग्ध योजना	361.50	334.41	92.51	390.27	354.76	90.90
3. अफीम एवं एल्केलायड फैक्टरियां	200.00	164.95	82.48	150.00	195.27	130.18
4. ईंधन निर्माण सुविधाएं	2,977.95	1,713.41	57.54	2,286.29	1,662.51	72.72
5. ईंधन माल सूची	2,534.97	2,866.96	113.10	2,416.67	615.09	25.45
6. भारी पानी पूल प्रबंधन	1,300.00	1,300.00	100.00	1,300.00	1,300.00	100.00
7. प्रकाश स्तंभ एवं प्रकाश पोत	350.00	368.96	105.42	320.00	316.95	99.05
8. डाक प्राप्तियां	12,330.05	10,632.31	86.23	19,203.29	13,558.20	70.60
9. भारतीय रेल	1,46,609.00	1,40,783.55	96.03	2,06,269.00	1,74,694.69	84.69
जोड़	**1,84,763.47**	**1,73,933.44**	**94.14**	**2,52,038.52**	**2,10,509.48**	**83.52**

परिशिष्ट–4

मुख्य स्कीमों पर व्यय की उल्लेखनीय विशेषताएं

(₹ करोड़)

क्र.सं.	मंत्रालय	स्कीम	2020–21 बजट अनुमान	2020–21 संशोधित अनुमान	2020–21 वास्तविक
1	**कृषि**	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	4,000.00	2,563.20	2,562.17
		प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	15,695.00	15,306.55	14,161.48
		प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान)	75,000.00	65,000.00	60,989.90
2	**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण**	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	33,400.00	35,144.25	40,332.47
		प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	6,020.00	7,517.25	8,732.00
		राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	2,900.00	2,900.00	2,815.46
		राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	29.00	29.00	0.46
3	**आयुष**	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	705.00	400.00	397.72
4	**शिक्षा**	समग्र शिक्षा	38,750.50	27,957.32	27,834.58
		विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	11,000.00	12,900.00	12,878.15
		राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	300.00	166.00	165.20
		एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम	28,557.00	20,038.00	18,203.86
5	**आवासन और शहरी कार्य**	प्रधानमंत्री आवास योजना	8,000.00	21,000.00	20,983.06
		राष्ट्रीय आजीविका मिशन – आजीविका	795.00	794.99	816.61
		मेट्रो परियोजनाएं (राजस्व + पूंजीगत)	17,482.00	6,483.59	6,483.59

क्र.सं.	मंत्रालय	स्कीम	2020–21 बजट अनुमान	2020–21 संशोधित अनुमान	2020–21 वास्तविक
		शहरी सुधार मिशन – अमृत तथा स्मार्ट सिटी मिशन	13,750.00	9,850.00	9,832.56
		स्वच्छ भारत मिशन – शहरी	2,300.00	1,000.01	1,000.22
6	**विद्युत**	दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	4,500.00	2,000.00	1,984.77
7	**ग्रामीण विकास**	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	61,500.00	1,11,500.00	1,11,170.85
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	2,000.00	1,000.00	998.35
		राष्ट्रीय आजीविका मिशन – आजीविका	9,210.04	9,210.04	9,208.76
		राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	9,196.92	42,617.22	42,443.70
		प्रधानमंत्री आवास योजना	19,500.00	19,500.00	19,269.14
		प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	19,500.00	13,706.23	13,687.50
8	**पेयजल और स्वच्छता**	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन/जल जीवन मिशन	11,500.00	11,000.00	10,998.29
		स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण	9,994.10	6,000.00	4,946.98
9	**सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन**	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम	3,960.00	2.00	1,108.15
10	**कौशल विकास और उद्यमिता**	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	2,726.03	2,461.00	2,369.50
11	**जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण**	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	5,126.51	4,390.96	4,376.92
12	**नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा**	ग्रिड इन्टरैक्टिव नवीकरणीय विद्युत	4,350.00	2,689.48	2,468.10

परिशिष्ट–5

वर्ष 2020–21 में मुख्य मदों पर व्यय

(₹ करोड़)

विवरण	प्रकार	संशोधित अनुमान	वास्तविक
पेंशन	राजस्व	2,04,393	2,08,473
रक्षा	राजस्व	2,09,312	2,05,789
	पूंजीगत	1,34,510	1,34,305
सहायिकी			
उर्वरक	राजस्व	1,33,947	1,27,922
खाद्य	राजस्व	4,22,618	5,41,330
पेट्रोलियम	राजस्व	38,790	36,755
कृषि तथा संबंद्ध कार्यकलाप	राजस्व	1,44,076	1,33,202
	पूंजीगत	1,279	1,218
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास	राजस्व	1,538	1,531
	पूंजीगत	322	323
शिक्षा	राजस्व	84,860	84,014
	पूंजीगत	229	206
ऊर्जा	राजस्व	24,311	25,098
	पूंजीगत	9,129	9,330
स्वास्थ्य	राजस्व	78,211	76,439
ब्याज अदायगी	राजस्व	6,92,900	6,79,869
पुलिस	राजस्व	87,658	86,676
	पूंजीगत	5,191	4,935
परिवहन	राजस्व	17,947	18,058
	पूंजीगत	2,00,675	1,98,737
सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार	राजस्व	27,465	28,071
	पूंजीगत	4,713	4,707

विवरण	प्रकार	संशोधित अनुमान	वास्तविक
ग्रामीण विकास	राजस्व	2,16,342	2,14,246
राज्यों को अंतरण	राजस्व	1,92,033	1,91,923
	पूंजीगत	14,968	19,552
संघ राज्य क्षेत्र	राजस्व	46,328	45,657
	पूंजीगत	4,954	1,948
शहरी विकास	राजस्व	36,482	36,397
	पूंजीगत	10,309	10,304
कर प्रशासन	राजस्व	40,919	39,373
	पूंजीगत	492	389
जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि को अंतरण	राजस्व	1,06,317	1,06,317
वित्त	राजस्व	18,938	16,510
	पूंजीगत	31,628	20,528
वैज्ञानिक विभाग	राजस्व	17,625	17,305
	पूंजीगत	4,727	4,795
समाज कल्याण	राजस्व	39,394	37,353
	पूंजीगत	235	210
वाणिज्य एवं उद्योग	राजस्व	21,679	19,901
	पूंजीगत	1,836	1,653
विदेश मामले	राजस्व	13,744	13,190
	पूंजीगत	1,256	1,139
डाक सेवाएं	राजस्व	19,089	17,695
	पूंजीगत	862	898
अन्य	राजस्व	74,226	74,425
	पूंजीगत	7,614	7,553
जोड़	**राजस्व**	**30,11,142**	**30,83,519**
	पूंजीगत	**4,39,163**	**4,26,317**

परिशिष्ट–6

वर्ष 2020–21 के लिए वेतन और भत्तों का व्यय

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग का नाम	राशि
	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	
1	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	321.98
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	5.27
	परमाणु ऊर्जा विभाग	
3	परमाणु ऊर्जा	3,805.02
	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	
4	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	22.00
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	
5	**रसायन और पेट्रोरसायन विभाग**	17.39
6	उर्वरक विभाग	23.01
7	औषध विभाग	12.67
	नागर विमानन मंत्रालय	
8	नागर विमानन मंत्रालय	145.30
	कोयला मंत्रालय	
9	कोयला मंत्रालय	27.10
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	
10	वाणिज्य विभाग	408.40

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग का नाम	राशि
11	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	274.01
	संचार मंत्रालय	
12	डाक विभाग	16,859.39
13	दूरसंचार विभाग	482.67
	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	
14	उपभोक्ता मामले विभाग	75.23
15	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	67.82
	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	
16	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	149.68
	संस्कृति मंत्रालय	
17	संस्कृति मंत्रालय	418.91
	रक्षा मंत्रालय	
18	रक्षा मंत्रालय (सिविल)	5,460.61
19	रक्षा मंत्रालय (रक्षा सेवा राजस्व)	1,43,068.78
	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	
22	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	24.40
	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	
23	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	446.44
	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
24	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	859.07

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग का नाम	राशि
	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	
25	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	253.63
	विदेश मंत्रालय	
26	विदेश मंत्रालय	2,054.93
	वित्त मंत्रालय	
27	आर्थिक कार्य विभाग	100.44
28	व्यय विभाग	118.65
29	वित्तीय सेवाएं विभाग	101.58
30	निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग	9.85
31	राजस्व विभाग	370.79
32	प्रत्यक्ष कर – सीबीडीटी	4,341.82
33	अप्रत्यक्ष कर–सीबीआईसी	5,173.28
34	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	4,183.35
	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	
39	मत्स्य पालन विभाग	53.54
40	पशुपालन और डेयरी विभाग	112.67
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	
41	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	16.58
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	
42	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	2,918.99

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग का नाम	राशि
43	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	3.64
	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	
44	भारी उद्योग विभाग	19.00
45	लोक उद्यम विभाग	8.88
	गृह मंत्रालय	
46	गृह मंत्रालय	1,300.01
47	मंत्रिमंडल	120.16
48	पुलिस	72,817.32
	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	
57	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	1663.96
58	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	
59	उच्च शिक्षा विभाग	25.04
60	**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**	97.11
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	310.89
	जल शक्ति मंत्रालय	
61	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	658.67
62	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	15.09
	श्रम और रोजगार मंत्रालय	
63	श्रम और रोजगार मंत्रालय	381.15

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग का नाम	राशि
	विधि और न्याय मंत्रालय	
64	विधि और न्याय	165.07
65	निर्वाचन आयोग	48.83
66	भारत का उच्चतम न्यायालय	257.04
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	
67	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	147.50
	खान मंत्रालय	
68	खान मंत्रालय	752.84
	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	
69	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	21.38
	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	
70	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	25.91
	पंचायती राज मंत्रालय	
71	पंचायती राज मंत्रालय	10.12
	संसदीय कार्य मंत्रालय	
72	संसदीय कार्य मंत्रालय	13.11
	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	
73	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	843.31
74	केंद्रीय सतर्कता आयोग	26.65

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग का नाम	राशि
75	**पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय**	24.98
	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	
76	**योजना मंत्रालय**	
	योजना मंत्रालय	57.88
77	**विद्युत मंत्रालय**	
	विद्युत मंत्रालय	130.48
	राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति सचिवालय	
78	राष्ट्रपति सचिवालय	37.29
79	लोकसभा	425.85
80	राज्य सभा	231.77
81	उप–राष्ट्रपति का सचिवालय	4.09
82	संघ लोक सेवा आयोग	111.23
83	**रेल मंत्रालय**	
	रेल मंत्रालय	76,883.26
84	**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**	
	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	91.29
85	**ग्रामीण विकास मंत्रालय**	
	ग्रामीण विकास विभाग	42.83

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग का नाम	राशि
86	भू–संसाधन विभाग	9.65
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
87	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	358.92
88	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	21.61
89	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	10.30
	पोत परिवहन मंत्रालय	
90	पोत परिवहन मंत्रालय	144.97
	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	
91	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	126.98
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	
92	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	50.23
93	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	11.44
	अंतरिक्ष मंत्रालय	
94	अंतरिक्ष विभाग	2,318.61
	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	
95	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	397.88
	इस्पात मंत्रालय	
96	इस्पात मंत्रालय	22.62
	वस्त्र मंत्रालय	
97	वस्त्र मंत्रालय	187.62

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग का नाम	राशि
	पर्यटन मंत्रालय	
98	पर्यटन मंत्रालय	38.38
	जनजातीय कार्य मंत्रालय	
99	जनजातीय कार्य मंत्रालय	19.73
	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	
100	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	37.43
	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	
101	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	30.89
	संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधानमण्डल वाले)	
49	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	1851.84
50	चंडीगढ़	1,872.34
51	दादर और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	397.84
52	लद्दाख	1,145.64
53	लक्षद्वीप	358.68
	जोड़	**3,59,972.48**

सहायिकियों का विवरण

परिशिष्ट–7

(₹ करोड़)

श्रेणी	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
मुख्य सहायिकियां...					
खाद्य सहायिकी	15	2408	1,15,569.68	4,22,618.14	5,41,330.14
उर्वरक सहायिकी			**71,309.00**	**1,33,947.30**	**1,27,921.74**
क. वसूली सहित यूरिया साहयिकी	6	**2852**	**47,805.00**	**94,957.42**	**90,549.27**
ख. पोषक तत्व संबंधी सहायिकी	6	2401	23,504.00	38,989.88	37,372.47
पेट्रोलियाम सहायिकी			**40,915.21**	**39,054.79**	**36,754.65**
क. एलपीजी सहायिकी	75	2802	37,256.21	36,072.47	33,495.30
ख. केरोसीन सहायिकी	75	3601	3,659.00	2,982.32	3,259.35
कुल मुख्य सहायिकियां			**2,27,793.89**	**5,95,620.23**	**7,06,006.53**
ब्याज सहायिकियां...					
किसानों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सहायता	1	2416, 2552	21,175.00	19,831.75	17,789.72
आवास ऋणों पर ब्याज सहायता के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को सहायिकी	29	2885	0.01	..	0.00
वरिष्ठ नागरिकों संबंधी पेंशन योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को ब्याज सहायिकी	29	2235	115.10	45.05	45.05
ब्याज समीकरण योजना	10	3453	2,300.00	1,600.00	1,667.00
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी)– के लिए ऋण संबद्ध सहायिकी स्कीम (सीएलएसएस)–I	57	2216	900.00	3,750.00	3,750.00

श्रेणी	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
मध्यम आय समूह (एमआईजी) के लिए ऋण संबद्ध सहायिकी स्कीम (सीएलएसएस)–II	57	2216	500.00	3,000.00	3,000.00
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अंतर्गत ब्याज सहायिकी	85	2216	100.00	5.00	0.00
उच्चतर शिक्षा विभाग में गारंटी निधियों के लिए ब्याज सहायिकी और अंशदान	59	2202	1,900.00	700.00	0.00
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत ऋण सहायता कार्यक्रम	67	2851	100.00	0.04	0.00
अल्पसंख्यक मामलों के अंतर्गत समुद्रपार अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायिकी	69	2235	30.00	22.00	20.19
हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को ब्याज सब्सिडी	18	2852	4.84	0.00	0.00
क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम	67	2851	653.91	1,080.67	1,067.64
एमएसएमई को वृद्धिशील ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन योजना	67	2851	200.00	350.00	350.00
राष्ट्रीय विद्युत निधि पर ब्याज सहायिकी	77	2801	200.00	200.00	200.00
कृषि अवसंरचना निधि	1	2401, 2552		208.00	21.87
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को शिशु ऋण (सब्सिडी) के शीघ्र भुगतान के लिए 2 प्रतिशत की ब्याज छूट पर सब्सिडी	29	2885	..	1,232.00	775.00
कुल ब्याज साहयिकियां			**28,178.86**	**32,024.51**	**28,686.47**
अन्य सहायिकियां.....					
चीनी के 40 एलएमटी बफर स्टॉक बनाने तथा उसकी देखरेख हेतु स्कीम	15	2408	200.00	500.00	500.00
2017–18 की अवधि के लिए चीनी मिलों की सहायता हेतु स्कीम	15	2408		10.00	8.11
2018–19 की अवधि के लिए चीनी मिलों की सहायता हेतु स्कीम	15	2408	200.00	1,163.00	900.00

श्रेणी	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
2019–20 की अवधि के लिए चीनी मिलों की सहायता हेतु स्कीम	15	2408	500.00	3,900.00	3,900.00
कृषि मंत्रालय में बाजार हस्तक्षेप स्कीम और मूल्य सहायता स्कीम (एमआईएस–पीएसएस)	1	2401, 2552	2,000.00	996.00	1,357.91
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में परिवहन/भाड़ा सहायिकी स्कीम	11	2885	300.00	385.00	385.00
उपभोक्ता मामले विभाग में मूल्य स्थिरीकरण निधि	14	3456	2,000.00	11,800.00	11,135.30
बाजार प्रचालन के लिए जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया को सहायिकी	97	2852	40.00	30.00	30.00
मूल्य सहायता स्कीम के अंतर्गत कपास निगम द्वारा कपास की अधिप्राप्ति	97	2852	0.01	865.00	662.71
पूर्वोत्तर औद्योगिकी एवं निवेश संवर्धन नीति	11	2885	200.00	200.00	200.00
गैर– केन्द्रीय पीएसयू शिपयार्डों तथा निजी क्षेत्र के शिपयार्डों को अन्य सहायिकियां	90	2852	151.00	129.30	150.15
जम्मू–कश्मीर, हिमचाल प्रदेश तथा उतराखंड के लिए विशेष श्रेणी राज्यों हेतु पैकेज	11	2885	175.00	45.00	44.96
चीनी का बफर स्टॉक बनाने तथा उसकी देखरेख हेतु स्कीम	15	2408	50.00	150.00	100.00
एथनॉल का उत्पाद बढ़ाने एवं उसमें वृद्धि के लिए चीनी संबंधी वित्तीय सहायता बढ़ाने हेतु स्कीम	15	2408	120.00	418.00	418.00
चीनी मिलों को सुलभ ऋण देने हेतु स्कीम	15	2408	0.36	0.36	0.36
चीनी के निर्यात शिपमेंट के लिए चीनी कारखानों को आंतरिक परिवहन मालभाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति					
निर्यात से संबंधित आंतरिक परिवहन, मालभाड़ा, देखरेख तथा अन्य प्रभारों पर आने वाले व्यय की अदायगी हेतु स्कीम	15	2408	200.00	350.00	300.59
कुल – अन्य सहायिकियां			**6,136.01**	**21,091.66**	**20,243.09**

मंत्रालयों/विभागों का व्यय 2020–21

परिशिष्ट–8

(दर्शाए गए आंकड़े प्राप्तियों और वसूलियों के निवल आंकड़े हैं)

(₹ करोड़)

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
1	**कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण**	1,16,757.92	1,08,272.83
	राजस्व	1,16,698.58	1,08,251.03
	पूंजीगत	59.34	21.80
2	**कृषि अनुसंधान और शिक्षा**	**7,762.38**	**7,553.77**
	राजस्व	7,762.38	7,553.77
	पूंजीगत	0.00	0.00
3	**परमाणु ऊर्जा**	**14,274.96**	**15,196.24**
	राजस्व	8,312.62	8,698.84
	पूंजीगत	5,962.34	6,497.40
4	**आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)**	**2,322.08**	**2,126.46**
	राजस्व	2,322.08	2,126.46
	पूंजीगत	0.00	0.00
5	**रसायन और पेट्रो रसायन**	**295.70**	**292.83**
	राजस्व	222.00	219.13
	पूंजीगत	73.70	73.70

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
6	**उर्वरक**	**1,34,792.70**	**1,28,761.15**
	राजस्व	1,33,979.46	1,27,947.91
	पूंजीगत	813.24	813.24
7	**औषध निर्माण**	**470.41**	**456.01**
	राजस्व	463.23	448.86
	पूंजीगत	7.18	7.15
8	**नागर विमानन**	**4,131.63**	**4,088.57**
	राजस्व	4,077.66	4,038.67
	पूंजीगत	53.97	49.90
9	**कोयला**	**627.58**	**571.64**
	राजस्व	627.58	571.64
	पूंजीगत	0.00	0.00
10	**वाणिज्य**	**4,600.00**	**3,155.97**
	राजस्व	4,173.00	2,735.03
	पूंजीगत	427.00	420.94
11	**उद्योग और औद्योगिक व्यापार संवर्धन**	**7,583.06**	**7,528.53**
	राजस्व	6,785.66	6,731.18
	पूंजीगत	797.40	797.35
12	**डाक**	**19,950.83**	**18,592.71**
	राजस्व	19,089.12	17,695.29
	पूंजीगत	861.71	897.42

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
13	**दूरसंचार**	**41,108.80**	**42,310.20**
	राजस्व	36,748.88	37,954.09
	पूंजीगत	4,359.92	4,356.11
14	**उपभोक्ता मामले**	**12,037.91**	**11,365.48**
	राजस्व	12,003.72	11,332.11
	पूंजीगत	34.19	33.37
15	**खाद्य और सार्वजनिक वितरण**	**4,38,648.72**	**5,55,431.70**
	राजस्व	4,37,458.00	5,54,243.35
	पूंजीगत	1,190.72	1,188.35
16	**कारपोरेट कार्य**	**680.00**	**652.58**
	राजस्व	644.78	619.21
	पूंजीगत	35.22	33.37
17	**संस्कृति**	**2,211.85**	**2,135.18**
	राजस्व	2,183.45	2,114.97
	पूंजीगत	28.40	20.21
18	**रक्षा (विविध)**	**15,914.06**	**17,521.26**
	राजस्व	10,294.06	11,901.27
	पूंजीगत	5,620.00	5,619.99

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
19	**रक्षा सेवाएं (राजस्व)**	**2,09,312.00**	**2,05,788.60**
	राजस्व	2,09,312.00	2,05,788.60
	पूंजीगत	0.00	0.00
20	**रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय**	**1,34,510.00**	**1,34,304.92**
	राजस्व	0.00	0.00
	पूंजीगत	1,34,510.00	1,34,304.92
21	**रक्षा पेंशन**	**1,25,000.00**	**1,28,065.77**
	राजस्व	1,25,000.00	1,28,065.77
	पूंजीगत	0.00	0.00
22	**पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास**	**1,860.00**	**1,853.66**
	राजस्व	1,537.65	1,531.31
	पूंजीगत	322.35	322.35
23	**पृथ्वी विज्ञान**	**1,300.00**	**1,274.53**
	राजस्व	1,225.10	1,204.89
	पूंजीगत	74.90	69.64
24	**इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी**	**5,550.00**	**5,396.30**
	राजस्व	5,197.00	5,045.67
	पूंजीगत	353.00	350.63

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
25	**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन**	**2,015.00**	**1,966.92**
	राजस्व	1,970.73	1,933.83
	पूंजीगत	44.27	33.09
26	**विदेश**	**15,000.00**	**14,329.23**
	राजस्व	13,744.10	13,190.18
	पूंजीगत	1,255.90	1,139.05
27	**आर्थिक कार्य**	**23,681.39**	**13,258.53**
	राजस्व	5,738.60	5,413.80
	पूंजीगत	17,942.79	7,844.73
28	**व्यय**	**406.14**	**289.17**
	राजस्व	406.14	289.17
	पूंजीगत	0.00	0.00
29	**वित्तीय सेवाएं**	**25,705.58**	**22,766.50**
	राजस्व	12,055.57	10,116.50
	पूंजीगत	13,650.01	12,650.00
30	**निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन**	**92.49**	**71.72**
	राजस्व	92.49	71.72
	पूंजीगत	0.00	0.00

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
31	**राजस्व**	**1,32,454.08**	**1,31,662.53**
	राजस्व	1,32,439.84	1,31,662.38
	पूंजीगत	14.24	0.15
32	**प्रत्यक्ष कर – सीबीडीटी**	**7,692.00**	**7,396.39**
	राजस्व	7,492.00	7,223.29
	पूंजीगत	200.00	173.10
33	**अप्रत्यक्ष कर – सीबीआईसी**	**7,581.97**	**7,380.12**
	राजस्व	7,303.97	7,164.02
	पूंजीगत	278.00	216.10
34	**भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा**	**4,743.43**	**4,740.44**
	राजस्व	4,725.43	4,732.53
	पूंजीगत	18.00	7.91
35	**वित्त–ब्याज अदायगियां (विनियोग)**	**6,92,900.00**	**6,79,868.58**
	राजस्व	6,92,900.00	6,79,868.58
	पूंजीगत	0.00	0.00
36	**वित्त–ऋण की पुनर्अदायगी**	**0.00**	**0.00**
	राजस्व	0.00	0.00
	पूंजीगत	0.00	0.00

अनुदान सं.	मंत्रालय / विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
37	**पेंशन**	**62,150.93**	**62,724.63**
	राजस्व	62,150.93	62,724.63
	पूंजीगत	0.00	0.00
38	**वित्त–राज्यों को अंतरण**	**2,07,000.66**	**2,11,474.70**
	राजस्व	1,92,032.43	1,91,922.55
	पूंजीगत	14,968.23	19,552.15
39	**मत्स्यपालन**	**910.42**	**882.63**
	राजस्व	897.81	877.94
	पूंजीगत	12.61	4.69
40	**पशुपालन और डेयरी**	**2,646.39**	**2,463.54**
	राजस्व	2,630.09	2,460.02
	पूंजीगत	16.30	3.52
41	**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग**	**1,247.42**	**1,145.52**
	राजस्व	1,247.42	1,145.52
	पूंजीगत	0.00	0.00
42	**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण**	**78,866.00**	**77,569.32**
	राजस्व	74,632.50	73,982.33
	पूंजीगत	4,233.50	3,586.99

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
43	**स्वास्थ्य अनुसंधान**	**4,062.30**	**3,124.59**
	राजस्व	4,062.30	3,124.59
	पूंजीगत	0.00	0.00
44	**भारी उद्योग**	**900.00**	**866.90**
	राजस्व	588.44	555.34
	पूंजीगत	311.56	311.56
45	**लोक उद्यम**	**17.84**	**16.11**
	राजस्व	17.84	16.11
	पूंजीगत	0.00	0.00
46	**गृह**	**4,015.55**	**3,855.71**
	राजस्व	3,736.22	3,580.43
	पूंजीगत	279.33	275.28
47	**गृह – मंत्रिमंडल**	**1,241.22**	**1,186.08**
	राजस्व	1,241.22	1,186.08
	पूंजीगत	0.00	0.00
48	**गृह – पुलिस**	**92,848.91**	**91,610.65**
	राजस्व	87,658.13	86,675.81
	पूंजीगत	5,190.78	4,934.84
49	**अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह**	**4,824.97**	**4,824.58**
	राजस्व	4,421.37	4,482.14
	पूंजीगत	403.60	342.44

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
50	**चंडीगढ़**	**4,154.91**	**4,223.67**
	राजस्व	3,839.36	3,882.38
	पूंजीगत	315.55	341.29
51	**दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव**	**1,418.53**	**1,378.56**
	राजस्व	1,011.31	1,005.14
	पूंजीगत	407.22	373.42
52	**लद्दाख**	**5,958.00**	**2,373.74**
	राजस्व	2,331.72	1,585.16
	पूंजीगत	3,626.28	788.58
53	**लक्षद्वीप**	**1,349.71**	**1,232.16**
	राजस्व	1,148.34	1,129.91
	पूंजीगत	201.37	102.25
54	**दिल्ली को अंतरण**	**1,116.00**	**1,112.49**
	राजस्व	1,115.99	1,112.49
	पूंजीगत	0.01	0.00
55	**जम्मू और कश्मीर को अंतरण**	**30,757.00**	**30,757.00**
	राजस्व	30,757.00	30,757.00
	पूंजीगत	0.00	0.00

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
56	**पुदुचेरी को अंतरण**	**1,703.02**	**1,703.00**
	राजस्व	1,703.01	1,703.00
	पूंजीगत	0.01	0.00
57	**आवासन और शहरी कार्य**	**46,790.99**	**46,700.99**
	राजस्व	36,481.57	36,397.28
	पूंजीगत	10,309.42	10,303.71
58	**स्कूल शिक्षा और साक्षरता**	**52,189.07**	**51,841.65**
	राजस्व	52,189.07	51,841.65
	पूंजीगत	0.00	0.00
59	**उच्चतर शिक्षा**	**32,900.00**	**32,377.76**
	राजस्व	32,671.00	32,172.02
	पूंजीगत	229.00	205.74
60	**सूचना और प्रसारण**	**3,650.25**	**3,376.62**
	राजस्व	3,643.85	3,370.30
	पूंजीगत	6.40	6.32
61	**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण**	**7,262.09**	**7,232.09**
	राजस्व	7,124.00	7,079.46
	पूंजीगत	138.09	152.63

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
62	**पेयजल और स्वच्छता**	**17,023.50**	**15,967.30**
	राजस्व	17,023.50	15,967.30
	पूंजीगत	0.00	0.00
63	**श्रम और रोजगार**	**13,719.56**	**12,920.37**
	राजस्व	13,690.06	12,894.27
	पूंजीगत	29.50	26.10
64	**विधि और न्याय**	**1,608.46**	**1,557.30**
	राजस्व	1,322.46	1,271.30
	पूंजीगत	286.00	286.00
65	**निर्वाचन आयोग**	**206.00**	**193.50**
	राजस्व	200.00	188.99
	पूंजीगत	6.00	4.51
66	**भारत का उच्चतम न्यायालय**	**328.00**	**328.00**
	राजस्व	328.00	328.00
	पूंजीगत	0.00	0.00
67	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम**	**5,664.22**	**5,455.27**
	राजस्व	5,474.22	5,431.64
	पूंजीगत	190.00	23.63
68	**खान**	**1,370.68**	**1,347.87**
	राजस्व	1,316.51	1,296.06
	पूंजीगत	54.17	51.81

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
69	**अल्पसंख्यक कार्य**	**4,005.00**	**3,920.29**
	राजस्व	3,894.98	3,810.29
	पूंजीगत	110.02	110.00
70	**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा**	**3,591.00**	**2,643.30**
	राजस्व	3,421.00	2,493.34
	पूंजीगत	170.00	149.96
71	**पंचायती राज**	**690.00**	**686.27**
	राजस्व	690.00	686.27
	पूंजीगत	0.00	0.00
72	**संसदीय कार्य**	**43.44**	**28.98**
	राजस्व	43.44	28.98
	पूंजीगत	0.00	0.00
73	**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन**	**1,780.00**	**1,641.51**
	राजस्व	1,630.27	1,525.33
	पूंजीगत	149.73	116.18
74	**केन्द्रीय सतर्कता आयोग**	**33.96**	**33.49**
	राजस्व	33.96	33.49
	पूंजीगत	0.00	0.00

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
75	**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस**	**42,901.00**	**42,189.88**
	राजस्व	40,287.99	39,876.88
	पूंजीगत	2,613.01	2,313.00
76	**योजना**	**770.00**	**748.69**
	राजस्व	769.22	748.41
	पूंजीगत	0.78	0.28
77	**विद्युत**	**10,835.13**	**10,581.92**
	राजस्व	10,451.13	10,211.94
	पूंजीगत	384.00	369.98
78	**राष्ट्रपति का सचिवालय**	**69.78**	**68.13**
	राजस्व	69.78	68.13
	पूंजीगत	0.00	0.00
79	**लोक सभा**	**703.10**	**559.79**
	राजस्व	703.10	559.79
	पूंजीगत	0.00	0.00
80	**राज्य सभा**	**361.41**	**346.51**
	राजस्व	361.41	346.51
	पूंजीगत	0.00	0.00

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
81	**सचिवालय – उप–राष्ट्रपति**	**6.82**	**5.93**
	राजस्व	6.82	5.93
	पूंजीगत	0.00	0.00
82	**संघ लोक सेवा आयोग**	**285.00**	**284.94**
	राजस्व	285.00	284.94
	पूंजीगत	0.00	0.00
83	**रेलवे**	**1,11,233.63**	**1,12,159.32**
	राजस्व	2,835.63	2,835.63
	पूंजीगत	1,08,398.00	1,09,323.69
84	**सड़क परिवहन और राजमार्ग**	**1,01,823.22**	**99,159.08**
	राजस्व	9,770.05	9,964.27
	पूंजीगत	92,053.17	89,194.81
85	**ग्रामीण विकास**	**1,97,376.53**	**1,96,416.71**
	राजस्व	1,97,376.53	1,96,416.71
	पूंजीगत	0.00	0.00
86	**भू–संसाधन**	**1,252.15**	**1,175.97**
	राजस्व	1,252.15	1,175.97
	पूंजीगत	0.00	0.00
87	**विज्ञान और प्रौद्योगिकी**	**5,000.00**	**4,893.56**
	राजस्व	4,899.00	4,807.08
	पूंजीगत	101.00	86.48

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
88	**जैव प्रौद्योगिकी**	**2,300.00**	**2,259.10**
	राजस्व	2,300.00	2,259.10
	पूंजीगत	0.00	0.00
89	**वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान**	**4,251.86**	**4,198.82**
	राजस्व	4,246.06	4,193.40
	पूंजीगत	5.80	5.42
90	**पोत परिवहन**	**1,433.65**	**1,387.69**
	राजस्व	1,263.65	1,219.06
	पूंजीगत	170.00	168.63
91	**कौशल विकास एवं उद्यमिता**	**2,723.86**	**2,625.40**
	राजस्व	2,650.14	2,551.23
	पूंजीगत	73.72	74.17
92	**सामाजिक न्याय और अधिकारिता**	**8,207.56**	**8,065.03**
	राजस्व	8,087.49	7,965.03
	पूंजीगत	120.07	100.00
93	**दिव्यांगजन सशक्तीकरण**	**900.00**	**852.52**
	राजस्व	900.00	852.52
	पूंजीगत	0.00	0.00

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
94	**अंतरिक्ष**	**9,500.00**	**9,474.42**
	राजस्व	4,954.68	4,840.45
	पूंजीगत	4,545.32	4,633.97
95	**सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन**	**1,394.00**	**2,423.26**
	राजस्व	1,390.39	2,420.38
	पूंजीगत	3.61	2.88
96	**इस्पात**	**79.44**	**74.31**
	राजस्व	79.44	74.31
	पूंजीगत	0.00	0.00
97	**वस्त्र**	**3,300.00**	**3,109.44**
	राजस्व	3,243.97	3,061.36
	पूंजीगत	56.03	48.08
98	**पर्यटन**	**1,260.00**	**1,096.82**
	राजस्व	1,260.00	1,096.82
	पूंजीगत	0.00	0.00
99	**जनजातीय कार्य**	**5,508.00**	**5,494.50**
	राजस्व	5,508.00	5,494.50
	पूंजीगत	0.00	0.00

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक
100	**महिला एवं बाल विकास**	**21,008.31**	**19,231.06**
	राजस्व	21,003.31	19,230.58
	पूंजीगत	5.00	0.48
101	**युवा कार्यक्रम और खेल**	**1,800.15**	**1,748.45**
	राजस्व	1,799.13	1,748.45
	पूंजीगत	1.02	0.00
	केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग		
	कुल	**34,50,305.27**	**35,09,836.41**
	राजस्व	**30,11,142.27**	**30,83,518.97**
	पूंजीगत	**4,39,163.00**	**4,26,317.44**

ब्याज वाले बाजार कर्ज का परिपक्वता ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राशि
मार्च, 2022 तक परिपक्वता	2,64,281.95
2022–2023 में परिपक्वता	4,19,624.45
2023–2024 में परिपक्वता	4,16,303.19
2024–2025 में परिपक्वता	4,35,099.71
2025–2026 में परिपक्वता	5,33,497.05
2026–2027 में परिपक्वता	4,46,344.74
2027–2028 में परिपक्वता	4,36,875.78
2028–2029 में परिपक्वता	3,10,067.60
2029–2030 में परिपक्वता	3,22,641.28
2030–2031 में परिपक्वता	5,61,897.90
2031–2032 में परिपक्वता	3,16,084.62
2032–2033 में परिपक्वता	2,11,956.53
2033–2034 में परिपक्वता	4,10,607.21
2034–2035 में परिपक्वता	4,39,105.69
2035–2036 में परिपक्वता	99,245.00
2036–2037 में परिपक्वता	86,000.00
2038–2039 में परिपक्वता	13,000.00
2039–2040 में परिपक्वता	38,150.90
2040–2041 में परिपक्वता	90,000.00
2041–2042 में परिपक्वता	90,000.00
2042–2043 में परिपक्वता	1,04,529.44
2043–2044 में परिपक्वता	1,16,472.28
2044–2045 में परिपक्वता	97,000.00
2045–2046 में परिपक्वता	98,000.00
2046–2047 में परिपक्वता	1,00,000.00
2049–2050 में परिपक्वता	84,000.00
2050–2051 में परिपक्वता	1,43,462.42
2051–2052 में परिपक्वता	55,000.00
2055–2056 में परिपक्वता	1,00,000.00
2059–2060 में परिपक्वता	83,461.95
2060–2061 में परिपक्वता	2,12,416.57
कुल	**71,35,126.26**

वर्ष 2020–21 के लिए 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग

(₹ करोड़)

अनुदान सं.	अनुदान या विनियोग नाम	अनुदान/विनियोग		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
1	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग						
	स्वीकृत	1,34,544.49		1,08,600.716		25,943.77	
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग						
	स्वीकृत	8,362.61		7,685.52		677.09	
3	परमाणु ऊर्जा						
	स्वीकृत	15,796.11	10,884.62	14,663.98	7,452.84	1,132.13	3,431.78
6	उर्वरक विभाग						
	स्वीकृत	1,38,573.25		1,31,71.1036		7,302.15	
9	कोयला मंत्रालय						
	स्वीकृत	882.63		571.64		310.99	
10	वाणिज्य विभाग						
	स्वीकृत	5,531.83	687.00	4,155.32	427.00	1,376.51	260.00
11	उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग						
	स्वीकृत		1,469.00		797.35		671.65
13	दूरसंचार विभाग						
	स्वीकृत	48,756.64	30,675.07	45,154.71	8,356.11	3,601.93	22,318.96
14	उपभोक्ता मामले विभाग						
	स्वीकृत	12,264.72		11,355.49		909.23	

अनुदान सं.	अनुदान या विनियोग नाम	अनुदान/विनियोग		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
15	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग						
	स्वीकृत		51,197.02		11,188.35		40,008.67
17	संस्कृति मंत्रालय						
	स्वीकृत	3,057.58		2,123.44		934.14	
18	रक्षा मंत्रालय (सिविल)						
	स्वीकृत	30,391.35		27,774.94		2,616.41	
21	रक्षा पेंशन						
	स्वीकृत	1,33,819.10		1,28,058.05		5,761.05	
22	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय						
	स्वीकृत	2,330.14	768.59	1,537.64	358.35	792.50	
23	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय						
	स्वीकृत	1,902.46	172.00	1,218.26	69.70	684.20	
24	इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय						
	स्वीकृत	6,524.06	467.99	5,172.57	350.63	1,351.49	
25	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय						
	स्वीकृत	3,052.26	157.55	2,029.84	33.09	1,022.42	124.46
26	विदेश मंत्रालय						
	स्वीकृत	16,110.42	1,377.29	13,223.35	1,142.49	2,887.07	234.80
27	आर्थिक कार्य विभाग						
	स्वीकृत	6,387.63	54,443.09	6,062.91	20,792.78	324.72	33,650.31

अनुदान सं.	अनुदान या विनियोग नाम	अनुदान/विनियोग		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
28	व्यय विभाग						
	स्वीकृत	535.56		289.31		246.25	
29	वित्तीय सेवाएं विभाग						
	स्वीकृत	12,180.57	48,600.07	10,289.16	38,650.00	1,891.41	9,950.07
31	राजस्व विभाग						
	स्वीकृत	2,72,440.50		2,68,877.80		3,562.70	
32	प्रत्यक्ष कर						
	स्वीकृत	7,733.39	332.03	7,229.93	173.14	503.47	158.89
33	अप्रत्यक्ष कर						
	स्वीकृत	7,820.00	438.02	7,168.11	216.10	651.89	221.92
34	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग						
	स्वीकृत	5,228.82		4,865.94		362.88	
35	विनियोग–ब्याज अदायगियां						
	प्रभारित	*7,33,203.16*		*720985.20*		*12,217.96*	
36	विनियोग– ऋण की पुनर्अदायगी						
	प्रभारित		*68,90,921.56*		*61,84,635.32*		*7,06,286.23*
37	पेंशन						
	प्रभारित	*474.45*		*300.83*		*173.62*	
	स्वीकृत	62,676.48		62,519.39		157.09	
38	राज्यों को अंतरण						
	प्रभारित	*1,96,527.23*	*32,125.00*	*1,84,062.49*	*26,763.99*	*12,464.73*	*5,361.01*
	स्वीकृत	46,930.00	1,22,208.00	19,504.33	122038.29	27,425.67	169.71

अनुदान सं.	अनुदान या विनियोग नाम	अनुदान/विनियोग		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
40	पशुपालन और डेयरी विभाग						
	स्वीकृत	3,657.47		2,964.04		693.43	
41	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय						
	स्वीकृत	1,382.98		1,152.68		230.30	
42	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग						
	स्वीकृत	1,36,433.94	4,371.88	91,604.72	3,586.99	44,829.22	784.89
43	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग						
	स्वीकृत	4,575.01		3,124.59		1,450.42	
44	लोक उद्यम विभाग						
	स्वीकृत	972.81	559.64	584.99	311.56	387.82	248.08
46	गृह मंत्रालय						
	स्वीकृत	7,749.49		3,585.40		4,164.09	
48	पुलिस						
	स्वीकृत	96,743.95	9,854.46	88,093.10	5,065.81	8,650.85	4,788.65
49	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह						
	स्वीकृत		622.42		342.92		279.50
50	चंडीगढ़						
	स्वीकृत	4,603.27		4,199.47		403.80	
51	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव						
	स्वीकृत	2,768.10	752.44	1,963.10	377.33	805.00	375.11

अनुदान सं.	अनुदान या विनियोग नाम	अनुदान/विनियोग		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
52	लद्दाख						
	स्वीकृत	2,331.83	3,626.29	1,585.46	788.58	746.37	2,837.71
54	दिल्ली को अंतरण						
	स्वीकृत		150.00		0.00		150.00
57	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय						
	स्वीकृत	46,533.43	21,104.23	43,012.90	10,280.37	3,520.53	10,823.86
58	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग						
	स्वीकृत	1,06,040.78		84,013.96		22,026.82	
59	उच्चतर शिक्षा विभाग						
	स्वीकृत	57,552.05	2,227.01	34,475.36	205.74	23,076.69	2,021.27
60	सूचना और प्रसारण मंत्रालय						
	स्वीकृत	4,361.65		3,374.12		987.53	
61	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग						
	स्वीकृत	8,641.53	409.01	7,149.50	158.07	1,492.03	250.94
62	पेयजल और स्वच्छता विभाग						
	स्वीकृत	32,518.10		26,967.39		5,550.71	
63	श्रम और रोजगार मंत्रालय						
	स्वीकृत	16,881.52		12,903.72		3,977.80	

अनुदान सं.	अनुदान या विनियोग नाम	अनुदान/विनियोग		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
64	विधि और न्याय						
	स्वीकृत	2,160.00		1,431.52		728.48	
67	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय						
	स्वीकृत	7,513.24	1,059.00	5,624.20	23.63	1,889.04	1,035.37
68	खान मंत्रालय						
	स्वीकृत	1,737.05		1,383.47		353.58	
69	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय						
	स्वीकृत	4,868.99		3,888.57		980.42	
70	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय						
	स्वीकृत	5,701.02		2,931.87		2,769.15	
71	पंचायती राज मंत्रालय						
	स्वीकृत	900.96		686.27		214.69	
75	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय						
	स्वीकृत	42,722.02	4,091.00	39,876.88	2,313.00	2,845.14	1,778.00
77	विद्युत मंत्रालय						
	स्वीकृत	20,236.71	2,048.08	14,556.51	383.98	5,680.20	1,664.10
79	लोक सभा						
	स्वीकृत	809.81		559.48		250.33	
84	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय						
	स्वीकृत	19,686.32	176848.53	19,266.45	170523.425	419.87	6,325.11

अनुदान सं.	अनुदान या विनियोग नाम	अनुदान/विनियोग		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
85	ग्रामीण विकास विभाग						
	स्वीकृत	3,44,855.53	100.00	3,36,116.76	0.00	8,738.77	100.00
86	भू–संसाधन विभाग						
	स्वीकृत	2,251.27		1,236.50		1,014.77	
87	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग						
	स्वीकृत	6,212.63		4,826.85		1,385.78	
88	जैव प्रौद्योगिकी विभाग						
	स्वीकृत	3,136.76		2,259.72		877.04	
89	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग						
	स्वीकृत	5,375.20		4,239.46		1,135.74	
90	पोत परिवहन मंत्रालय						
	स्वीकृत	2,035.01		1,588.43		446.58	
91	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय						
	स्वीकृत	2,923.04		2,558.27		364.77	
92	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग						
	स्वीकृत	9,557.60	546.00	8,136.84	100.00	1,420.76	446.00
93	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग						
	स्वीकृत	1,325.38		861.63		463.75	
94	अंतरिक्ष विभाग						
	स्वीकृत	5,703.62	7,774.89	4,853.55	4,636.48	850.07	3,138.41

अनुदान सं.	अनुदान या विनियोग नाम	अनुदान/विनियोग		व्यय		बचत	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
95	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय						
	स्वीकृत	5,426.07	17.95	2,435.34	2.88	2,990.73	
97	इस्पात मंत्रालय						
	स्वीकृत	3,463.79		3,098.88		364.91	
98	पर्यटन मंत्रालय						
	स्वीकृत	2,506.10		1,138.43		1,367.67	
99	जनजातीय कार्य मंत्रालय						
	प्रभारित	*4,768.01*		*3,422.17*		*1,345.84*	
	स्वीकृत	2,492.99	150.01	2,072.47	0.00	420.52	150.01
100	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय						
	स्वीकृत	30,507.10		19,243.56		11,263.54	
101	युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय						
	स्वीकृत	2,775.94		1,787.83		988.11	

परिशिष्ट–11

विनियोग लेखे 2020–21 का सारांश

(₹ करोड़)

अनुदान या विनियोग का नाम एवं संख्या		अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपए)	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
1	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग								
	स्वीकृत	134544,49,00	63,32,00	108600,71,60	21,79,61	25943,77,40	41,52,39	..	..
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग								
	स्वीकृत	8362,61,00	..	7685,51,71	..	677,09,29	..	..	..
3	परमाणु ऊर्जा								
	प्रभारित	*1,00,00*	*10,00,00*	*80*	..	*99,20*	*10,00,00*	..	..
	स्वीकृत	15796,11,00	10884,62,00	14663,97,79	7452,83,80	1132,13,21	3431,78,20	..	..
4	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)								
	स्वीकृत	2322,10,00	..	2291,98,33	..	30,11,67	..	..	..
5	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग								
	स्वीकृत	222,00,00	73,70,00	219,33,53	73,70,00	2,66,47	..	..	..
6	उर्वरक विभाग								
	स्वीकृत	138573,25,00	813,28,00	131271,10,36	813,24,00	7302,14,64	4,00	..	..

अनुदान या विनियोग का नाम एवं संख्या		अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपए)	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
7	औषध निर्माण विभाग								
	स्वीकृत	463,23,00	7,18,00	449,00,95	7,15,00	14,22,05	3,00	..	..
8	नागर विमानन मंत्रालय								
	स्वीकृत	4077,65,00	53,97,00	4040,28,00	49,89,76	37,37,00	4,07,24	..	..
9	कोयला मंत्रालय								
	स्वीकृत	882,63,00	..	571,64,01	..	310,98,99	..	..	..
10	वाणिज्य विभाग								
	प्रभारित	*50,00*	..	*49,83*	..	*17*	..	..	..
	स्वीकृत	5531,83,00	687,00,00	4155,32,10	427,00,00	1376,50,90	260,00,00	..	..
11	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग								
	स्वीकृत	6785,67,00	1469,00,00	6761,77,96	797,34,69	23,89,04	671,65,31	..	..
13	दूरसंचार विभाग								
	स्वीकृत	48756,64,00	30675,07,00	45154,70,97	8356,11,32	3601,93,03	22318,95,68	..	..
14	उपभोक्ता मामले विभाग								
	स्वीकृत	12264,72,00	55,40,00	11355,49,21	33,37,27	909,22,79	22,02,73	..	..
15	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग								
	स्वीकृत	435596,24,00	51197,02,00	554244,83,80	11188,34,97	..	40008,67,03	118648,59,80 (118648,59,80,000)	..

अनुदान या विनियोग का नाम एवं संख्या		अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपए)	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
16	कारपोरेट कार्य मंत्रालय								
	स्वीकृत	700,63,00	52,00,00	633,16,62	33,37,30	67,46,38	18,62,70	..	..
17	संस्कृति मंत्रालय								
	स्वीकृत	3057,58,00	92,29,00	2123,43,85	20,21,01	934,14,15	72,07,99	..	..
18	रक्षा मंत्रालय (सिविल)								
	प्रभारित	*84,00*	*40,00,00*	*22,07*	*24,89,50*	*61,93*	*15,10,50*	..	..
	स्वीकृत	30391,35,00	8805,00,00	27774,94,27	8806,91,62	2616,40,73		..	1,91,62
									(191,62,184)
21	रक्षा पेंशन								
	प्रभारित	*7,31,00*	..	*7,83,23*	..	..	..	*52,23*	..
								(52,22,461)	
	स्वीकृत	133819,10,00	..	128058,04,69	..	5761,05,31	..	..	..
22	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय								
	स्वीकृत	2330,14,00	768,59,00	1537,63,97	358,34,64	792,50,03	410,24,36	..	..
23	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय								
	स्वीकृत	1902,46,00	172,00,00	1218,25,59	69,69,74	684,20,41	102,30,26	..	..
24	इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय								
	स्वीकृत	6524,06,00	467,99,00	5172,56,88	350,62,84	1351,49,12	117,36,16	..	..

अनुदान या विनियोग का नाम एवं संख्या		अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपए)	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
25	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय								
	स्वीकृत	3052,26,00	157,55,00	2029,84,39	33,09,30	1022,41,61	124,45,70	..	..
26	विदेश मंत्रालय								
	प्रभारित	*3,00*	..	..	..	*3,00*	..	..	..
	स्वीकृत	16110,42,00	1377,29,00	13223,35,26	1142,48,52	2887,06,74	234,80,48	..	..
27	आर्थिक कार्य विभाग								
	स्वीकृत	6387,63,00	54443,09,00	6062,90,52	20792,78,00	324,72,48	33650,31,00	..	..
28	व्यय विभाग								
	स्वीकृत	535,56,00	..	289,31,31	..	246,24,69	..	..	..
29	वित्तीय सेवाएं विभाग								
	स्वीकृत	12180,57,00	48600,07,00	10289,16,24	38650,00,00	1891,40,76	9950,07,00	..	..
30	निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन (डीपम) विभाग								
	स्वीकृत	132,11,00	..	71,71,79	..	60,39,21	..	..	..
31	राजस्व विभाग								
	प्रभारित	*2,00*	..	..	..	*2,00*	..	..	..
	स्वीकृत	272440,50,00	91,21,00	268877,80,14	14,76	3562,69,86	91,06,24	..	..
32	प्रत्यक्ष कर								
	स्वीकृत	7733,39,00	332,03,00	7229,92,50	173,14,37	503,46,50	158,88,63	..	..

अनुदान या विनियोग का नाम एवं संख्या		अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपए)	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
33	अप्रत्यक्ष कर								
	प्रभारित	*50,00*	..	..	..	*50,00*	..	..	..
	स्वीकृत	7820,00,00	438,02,00	7168,11,05	216,10,36	651,88,95	221,91,64	..	..
34	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग								
	प्रभारित	*186,46,00*	..	*169,30,26*	..	*17,15,74*	..	..	..
	स्वीकृत	5228,82,00	18,00,00	4865,94,49	7,90,56	362,87,51	10,09,44	..	..
35	विनियोग–ब्याज अदायगियां								
	प्रभारित	*733203,16,00*	..	*720985,19,73*	..	*12217,96,27*	..	..	..
36	विनियोग – ऋण की पुनर्अदायगी								
	प्रभारित	..	*6890921,56,00*	..	*6184635,32,59*	..	*706286,23,41*	..	..
37	पेंशन								
	प्रभारित	*474,45,00*	..	*300,83,09*	..	*173,61,91*	..	..	..
	स्वीकृत	62676,48,00	..	62519,39,37	..	157,08,63	..	..	..
38	राज्यों को अंतरण								
	प्रभारित	*196527,23,00*	*32125,00,00*	*184062,49,80*	*26763,99,36*	*12464,73,20*	*5361,00,64*	..	..
	स्वीकृत	46930,00,00	122208,00,00	19504,33,03	122038,29,00	27425,66,97	169,71,00	..	..
39	मत्स्यपालन विभाग								
	स्वीकृत	897,88,00	19,17,00	878,58,89	4,68,68	19,29,11	14,48,32	..	..
40	पशुपालन और डेयरी विभाग								
	स्वीकृत	3657,47,00	46,71,00	2964,03,91	3,52,25	693,43,09	43,18,75	..	..

अनुदान या विनियोग का नाम एवं संख्या		अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपए)	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
41	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय								
	स्वीकृत	1382,98,00	..	1152,67,56	..	230,30,44	..	..	..
42	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग								
	स्वीकृत	136433,94,00	4371,88,00	91604,71,98	3586,99,42	44829,22,02	784,88,58	..	..
43	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग								
	स्वीकृत	4575,01,00	..	3124,59,38	..	1450,41,62	..	..	..
44	भारी उद्योग विभाग								
	स्वीकृत	972,81,00	559,64,00	584,98,68	311,56,00	387,82,32	248,08,00	..	..
45	लोक उद्यम विभाग								
	स्वीकृत	24,15,00	..	16,15,29	..	7,99,71	..	..	..
46	गृह मंत्रालय								
	प्रभारित	*3,00*	..	..	..	*3,00*	..	..	..
	स्वीकृत	7749,49,00	283,33,00	3585,39,88	275,28,38	4164,09,12	8,04,62	..	..
47	मंत्रिमंडल								
	स्वीकृत	1241,22,00	..	1194,90,63	..	46,31,37	..	..	..
48	पुलिस								
	प्रभारित	*30,56,00*	*4,42,00*	*26,53,15*	*1,91,44*	*4,02,85*	*2,50,56*	..	..
	स्वीकृत	96743,95,00	9854,46,00	88093,09,89	5065,80,67	8650,85,11	4788,65,33	..	..

अनुदान या विनियोग का नाम एवं संख्या		अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपए)	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
49	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह								
	प्रभारित	*1,00*	..	*1,00*	..	..	..	..	..
	स्वीकृत	4611,94,00	622,42,00	4531,03,53	342,92,16	80,90,47	279,49,84	..	..
50	चंडीगढ़								
	प्रभारित	*40,76,00*	*55,00,00*	*29,12,52*	*55,00,00*	*11,63,48*	..	..	..
	स्वीकृत	4603,27,00	439,23,00	4199,47,34	359,47,49	403,79,66	79,75,51	..	..
51	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव								
	स्वीकृत	2768,10,00	752,44,00	1963,09,96	377,33,41	805,00,04	375,10,59	..	..
52	लद्दाख								
	स्वीकृत	2331,83,00	3626,29,00	1585,45,66	788,57,81	746,37,34	2837,71,19	..	..
53	लक्षद्वीप								
	स्वीकृत	1174,86,00	201,67,00	1138,65,96	102,25,81	36,20,04	99,41,19	..	..
54	दिल्ली को अंतरण								
	स्वीकृत	1115,99,00	150,00,00	1112,49,00	..	3,50,00	150,00,00	..	..
55	जम्मू और कश्मीर को अंतरण								
	स्वीकृत	30757,00,00	..	30757,00,00	..	..	..	..	..
56	पुदुचेरी को अंतरण								
	स्वीकृत	1703,01,00	1,00	1703,00,00	..	1,00	1,00	..	..
57	आवसन एवं शहरी कार्य मंत्रालय								
	प्रभारित	*103,81,00*	*44,82,00*	*93,53,55*	*23,84,43*	*10,27,45*	*20,97,57*	..	..
	स्वीकृत	46533,43,00	21104,23,00	43012,90,30	10280,36,86	3520,52,70	10823,86,14	..	..

अनुदान या विनियोग का नाम एवं संख्या		अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपए)	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
58	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग								
	स्वीकृत	106040,78,00	..	84013,96,34	..	22026,81,66	..	..	..
59	उच्चतर शिक्षा विभाग								
	स्वीकृत	57552,05,00	2227,01,00	34475,35,99	205,73,73	23076,69,01	2021,27,27	..	..
60	सूचना और प्रसारण मंत्रालय								
	स्वीकृत	4361,65,00	13,56,00	3374,12,23	6,31,95	987,52,77	7,24,05	..	..
61	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग								
	प्रभारित	..	*1,00*	..	..	..	*1,00*	..	..
	स्वीकृत	8641,53,00	409,01,00	7149,49,79	158,07,07	1492,03,21	250,93,93	..	..
62	पेंयजल और स्वच्छता विभाग								
	स्वीकृत	32518,10,00	..	26967,38,79	..	5550,71,21	..	..	..
63	श्रम और रोजगार मंत्रालय								
	स्वीकृत	16881,52,00	44,00,00	12903,72,26	26,10,34	3977,79,74	17,89,66	..	..
64	विधि और न्याय								
	स्वीकृत	2160,00,00	286,00,00	1431,51,86	286,00,00	728,48,14	..	..	..
65	निर्वाचन आयोग								
	स्वीकृत	269,01,00	6,00,00	192,88,29	6,00,00	76,12,71	..	..	..
66	विनियोग–भारत का उच्चतम न्यायालय								
	प्रभारित	*328,00,00*	..	*327,99,99*	..	*1*	..	..	..

अनुदान या विनियोग का नाम एवं संख्या		अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपए)	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
67	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय								
	स्वीकृत	7513,24,00	1059,00,00	5624,20,16	23,62,80	1889,03,84	1035,37,20	..	..
68	खान मंत्रालय								
	स्वीकृत	1737,05,00	114,36,00	1383,47,01	51,81,04	353,57,99	62,54,96	..	..
69	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय								
	स्वीकृत	4868,99,00	160,02,00	3888,56,93	110,00,00	980,42,07	50,02,00	..	..
70	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय								
	स्वीकृत	5701,02,00	170,00,00	2931,87,41	149,96,19	2769,14,59	20,03,81	..	..
71	पंचायती राज मंत्रालय								
	स्वीकृत	900,96,00	..	686,26,78	..	214,69,22	..	..	..
72	संसदीय कार्य मंत्रालय								
	स्वीकृत	50,52,00	..	28,97,67	..	21,54,33	..	..	..
73	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय								
	प्रभारित	*73,32,00*	*3,65,00*	*13,65,65*	*1,65,00*	*59,66,35*	*2,00,00*	..	..
	स्वीकृत	1602,28,00	146,09,00	1518,11,17	114,52,97	84,16,83	31,56,03	..	..
74	*विनियोग–केन्द्रीय सतर्कता आयोग*								
	प्रभारित	*39,00,00*	..	*33,55,65*	..	*5,44,35*	..	..	..

अनुदान या विनियोग का नाम एवं संख्या		अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपए)	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
75	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय								
	स्वीकृत	42722,02,00	4091,00,00	39876,88,01	2313,00,00	2845,13,99	1778,00,00	..	..
76	योजना मंत्रालय								
	स्वीकृत	769,24,00	78,00	749,01,38	28,19	20,22,62	49,81	..	..
77	विद्युत मंत्रालय								
	स्वीकृत	20236,71,00	2048,08,00	14556,50,94	383,98,00	5680,20,06	1664,10,00	..	..
78	*विनियोग– राष्ट्रपति का कर्मचारीवृंद, गृह और भत्ते*								
	प्रभारित	*80,98,00*	..	*68,35,01*	..	*12,62,99*	..	..	..
79	लोक सभा								
	प्रभारित	*1,30,00*	..	*31,75*	..	*98,25*	..	..	..
	स्वीकृत	809,81,00	..	559,47,67	..	250,33,33	..	..	..
80	राज्य सभा								
	प्रभारित	*1,37,00*	..	*69,57*	..	*67,43*	..	..	..
	स्वीकृत	434,92,00	..	345,86,79	..	89,05,21	..	..	..
81	उप–राष्ट्रपति का सचिवालय								
	स्वीकृत	7,25,00	..	5,92,73	..	1,32,27	..	..	..
82	*विनियोग–संघ लोक सेवा आयोग*								
	प्रभारित	*305,38,00*	..	*284,93,62*	..	*20,44,38*	..	..	..

अनुदान या विनियोग का नाम एवं संख्या		अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपए)	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
84	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय								
	प्रभारित	..	*10,00,00*	..	..		*10,00,00*	..	..
	स्वीकृत	19686,32,00	176848,53,00	19266,45,25	170523,42,50	419,86,75	6325,10,50	..	..
85	ग्रामीण विकास विभाग								
	स्वीकृत	344855,53,00	100,00,00	336116,75,89	..	8738,77,11	100,00,00	..	..
86	भू–संसाधन विभाग								
	स्वीकृत	2251,27,00	..	1236,49,51	..	1014,77,49	..	..	..
87	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग								
	प्रभारित	*2,00*	..	..	..	*2,00*	..	..	..
	स्वीकृत	6212,63,00	101,00,00	4826,85,09	86,47,75	1385,77,91	14,52,25	..	..
88	जैव प्रौद्योगिकी विभाग								
	स्वीकृत	3136,76,00	..	2259,72,24	..	877,03,76	..	..	..
89	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग								
	स्वीकृत	5375,20,00	9,80,00	4239,45,95	5,41,83	1135,74,05	4,38,17	..	..
90	पोत परिवहन मंत्रालय								
	स्वीकृत	2035,01,00	330,00,00	1588,42,82	319,20,40	446,58,18	10,79,60	..	..

अनुदान या विनियोग का नाम एवं संख्या		अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपए)	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
91	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय								
	स्वीकृत	2923,04,00	79,18,00	2558,26,96	74,17,22	364,77,04	5,00,78	..	..
92	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग								
	स्वीकृत	9557,60,00	546,00,00	8136,83,93	100,00,00	1420,76,07	446,00,00	..	..
93	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग								
	स्वीकृत	1325,38,00	1,00	861,63,42	..	463,74,58	1,00	..	..
94	अंतरिक्ष विभाग								
	प्रभारित	*60,00*	*40,00*	*94*	*1,76*	*59,06*	*38,24*	..	..
	स्वीकृत	5703,62,00	7774,89,00	4853,55,13	4636,47,56	850,06,87	3138,41,44	..	..
95	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय								
	स्वीकृत	5426,07,00	17,95,00	2435,33,75	2,88,48	2990,73,25	15,06,52	..	..
96	इस्पात मंत्रालय								
	स्वीकृत	100,00,00	..	74,31,03	..	25,68,97	..	..	..

अनुदान या विनियोग का नाम एवं संख्या		अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपए)	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
97	वस्त्र मंत्रालय								
	स्वीकृत	3463,79,00	57,19,00	3098,88,49	48,08,52	364,90,51	9,10,48	..	..
98	पर्यटन मंत्रालय								
	स्वीकृत	2506,10,00	..	1138,43,07	..	1367,66,93	..	..	..
99	जनजातीय कार्य मंत्रालय								
	प्रभारित	*4768,01,00*	..	*3422,16,73*	..	*1345,84,27*	..	..	..
	स्वीकृत	2492,99,00	150,01,00	2072,46,78	..	420,52,22	150,01,00	..	..
100	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय								
	स्वीकृत	30507,10,00	5,01,00	19243,55,85	47,61	11263,54,15	4,53,39	..	..
101	युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय								
	स्वीकृत	2775,94,00	51,03,00	1787,83,02	..	988,10,98	51,03,00	..	..
	प्रभारित	*936174,65,00*	*6923214,86,00*	*909827,27,94*	*6211506,64,08*	*26347,89,29*	*711708,21,92*	*52,23*	..
	कुल						(52,22,461)		
	स्वीकृत	2549523,56,00	572879,68,00	2401776,72,50	423044,75,53	266395,43,30	149836,84,09	118648,59,80	1,91,62
								(118648,59,80,000)	(191,62,184)

वस्तु शीर्षवार व्यय 2020–21

परिशिष्ट–12

(₹ करोड़ में)

वस्तु शीर्ष	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	कुल
01	वेतन	2,12,045	4,859	2,16,904
02	मजदूरी	1,401	5	1,406
03	समयोपरि भत्ता	597	5	602
04	पेंशन प्रभार	2,20,847	73	2,20,920
05	पुरस्कार	107		107
06	चिकित्सा उपचार	4,984	21	5,005
11	घरेलू यात्रा खर्च	4,255	13	4,268
12	विदेश यात्रा खर्च	258	0	258
13	कार्यालय व्यय	10,643	35	10,678
14	किराया, दर और कर	3,596	2	3,598
16	प्रकाशन	626	0	626
20	अन्य प्रशासनिक खर्च	3,986	1	3,987
21	आपूर्तियां और सामग्री	54,002	17,227	71,229
22	हथियार और गोला बारूद	679	0	679
23	राशन की लागत	4,331	0	4,331
24	पी.ओ.एल.	1,597	1	1,598
25	क्लोदिंग और टेन्टेज	579	0	579

वस्तु शीर्ष	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	कुल
26	विज्ञापन और प्रचार	1,211	2	1,213
27	लघु कार्य	8,502	75	8,577
28	व्यावसायिक सेवाएं	7,643	338	7,981
30	अन्य संविदागत सेवाएं	12,285	1,419	13,704
31	सहायता अनुदान सामान्य	7,40,540	6	7,40,546
32	अंशदान	28,170	64	28,234
33	सहायिकी	7,68,758	0	7,68,758
34	छात्रवृत्ति/वृत्तिका	3,529	1	3,530
35	पूंजीगत परिसम्पत्तियां बनाने के लिए अनुदान	2,22,391		2,22,391
36	सहायता अनुदान वेतन	42,339		42,339
41	गुप्त सेवा व्यय	305		305
42	एकमुश्त प्रावधान	1		1
43	उचंत	–299		–299
45	ब्याज	7,23,672		7,23,672
50	अन्य प्रभार	33,756	8,281	42,037
51	मोटर वाहन	7	668	675
52	मशीनरी और उपकरण	7	7,688	7,695
53	मुख्य कार्य		60,089	60,089
54	निवेश		1,01,324	1,01,324

वस्तु शीर्ष	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	कुल
55	ऋण तथा अग्रिम		2,49,855	2,49,855
56	उधार की पुनर्अदायगी		61,84,635	61,84,635
60	अन्य पूंजीगत व्यय	1	15,088	15,089
61	मूल्यह्रास	224		224
62	आरक्षित	2,705		2,705
63	अंतर लेखा अंतरण	3,65,900	92,999	4,58,899
64	बट्टे खाते डालनाध्हानियां	1		1
70	घटाएं वसूलियां	–3,86,843	–1,01,648	–4,88,491
	कुल	**30,99,338**	**66,43,126**	**97,42,464**
वस्तु शीर्ष स्तर के अलावा दर्ज किया गया व्यय				
	रेलवे		–1	–1
	रक्षा	2,15,514	1,34,305	3,49,819
कुल		**2,15,514**	**1,34,304**	**3,49,818**
सकल योग		**33,14,852**	**67,77,430**	**100,92,282**

महालेखा नियंत्रक

व्यय विभाग

वित्त मंत्रालय

जी.पी.ओ. कॉम्प्लैक्स, ब्लॉक-ई, आई.एन.ए. नई दिल्ली-110023

फोन: +91-11-24665581, फैक्स: +91-11-24665688

वेबसाइट: **www.cga.nic.in, https://pfms.nic.in**